आवास भारती

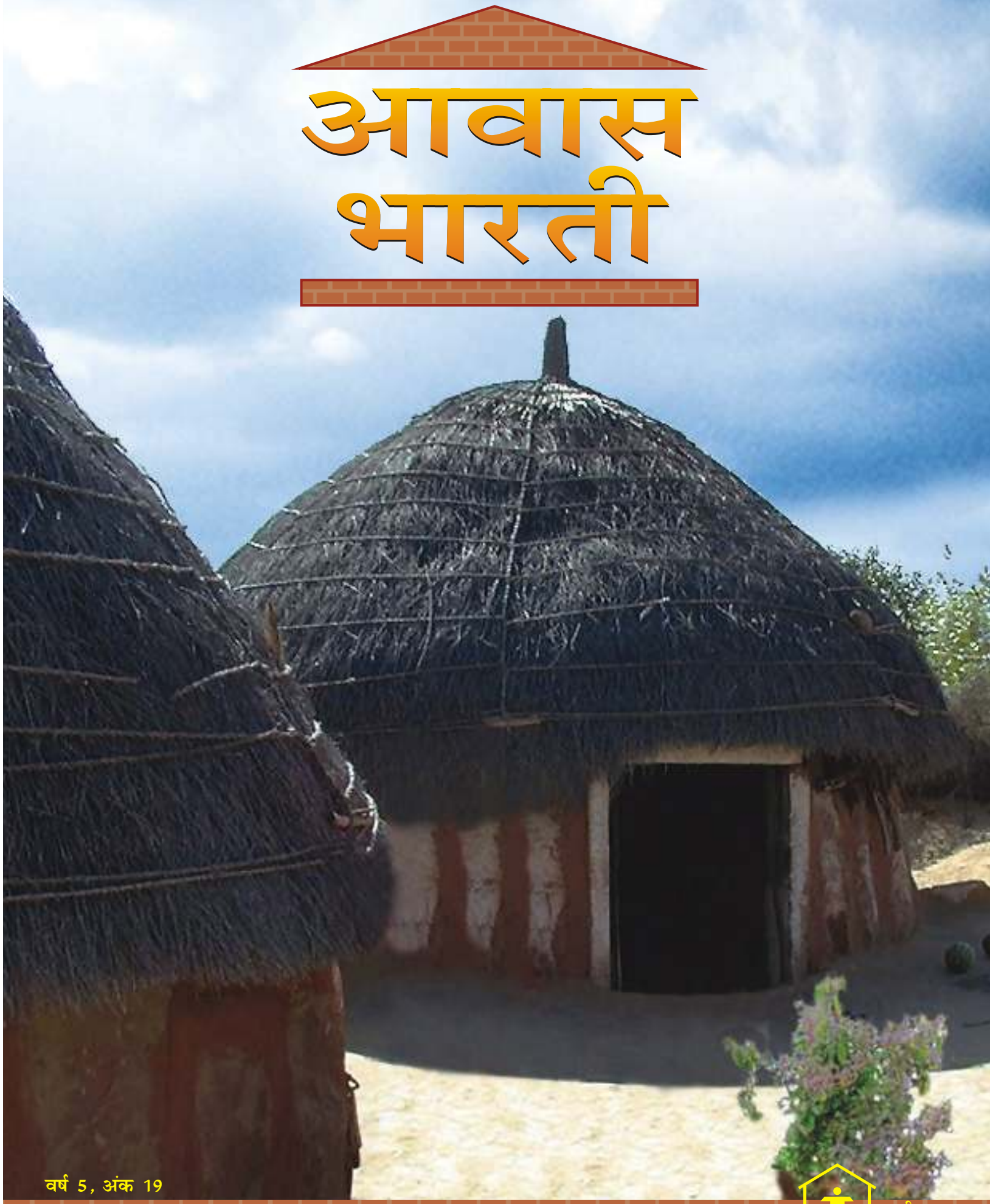

वर्ष 5, अंक 19
अप्रैल-जून, 2006

राष्ट्रीय आवास बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक
हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता

(2004-2005)

प्रमाणपत्र

हिन्दी के प्रयोग के संदर्भ में
हिन्दी गृह पत्रिका प्रतियोगिता
में चतुर्थ स्थान प्राप्त करने के लिए

राष्ट्रीय आवास बैंक
को प्रदत्त

डा. वे रेड्डी
गवर्नर
GOVERNOR

RESERVE BANK OF INDIA
HINDI HOUSE JOURNAL COMPETITION

(2004-2005)

CERTIFICATE

Awarded to

National Housing Bank

for ranking....fourth.....in the Hindi House Journal Competition on the use of Hindi

आवास भारती

वर्ष 5, अंक 19, अप्रैल-जून, 2006

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका

(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या : दिल्ली इन/2001/6138

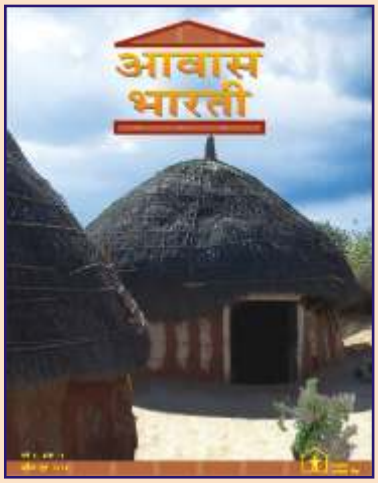

प्रधान संरक्षक

एस. श्रीधर, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

सुरेन्द्र कुमार, कार्यपालक निदेशक

संयुक्त संरक्षक

पी. के. कौल, महाप्रबंधक

संपादक

ओ. पी. पुरी, सहायक महाप्रबंधक

उप संपादक

रंजन कुमार बरुन, प्रबंधक

संपादक मंडल

राकेश कुमार, सहायक महाप्रबंधक

मि.गो. देशपाण्डे, प्रबंधक-मुम्बई कार्यालय से

किशोर कुंभारे, प्रबंधक

संजय कुमार, उप प्रबंधक

पूनम चौरसिया, सहायक प्रबंधक

ऋतु शर्मा, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए जिम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.
भारत में आवास और कानून	3
उत्तम शहरी अभिशासन के लिए पहल	7
पश्चिमी बंगाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी	11
भारत का चहुमुखी विकास	14
गतिशील भाषा-संसार	16
अपने बैंक नोटों को जानिए	17
नारी का उद्‌बोधन	18
ट्यूशन	19
असम	20
किसी बस्ती तक पहुँचने में सुगमता का प्रभाव	21
राष्ट्रीय आवास कोष गठित करेगी सरकार	23
आपकी पाती	24

संपादक की कलम से

देश में आवास की कमी से हम सभी भलीभांति परिचित हैं। विभिन्न संस्थाओं के अनुमान अनुसार देश में 2.2 करोड़ आवास इकाइयों से लेकर 4 करोड़ आवास इकाइयों की कमी बताई जा रही है। आवास की कमी गरीब जनता को अधिक प्रभावित करती है। मनुष्य के शरीर की संरचना एवं समाज की व्यवस्था के अनुसार आवास जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक माना गया है। इसलिए सरकार एवं आवास से जुड़ी सभी संस्थाओं को मिल कर सभी को आवास दिलाने की दिशा में प्रयास करने होंगे।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने अपने स्तर पर ग्रामीण इलाकों के लिए, गरीबों के लिए एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई योजनाएं बनाने की पहल की है। आशा है कि बैंक इन योजनाओं को निकट भविष्य में लागू करने में सफल होगा। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से देश में आवास की समस्या को सुलझाने के लिए नई दिशा का आगमन होगा।

आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों को भी अपनी योजनाओं एवं प्रयासों को इस तरह सुधारने का प्रयास करना होगा जिससे कि उपेक्षित वर्गों को वित्त सुविधा और अधिक उपलब्ध कराई जा सके। कृषि ऋणों की तरह संस्थाओं को आवास ऋण के क्षेत्र में गरीबों से अपेक्षित सिक्योरिटी के बारे में अपनी नीतियों को बदलना चाहिए। उदाहरणार्थ एक लाख रूपए तक के आवास ऋण बिना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे देने चाहिए। इसी तरह आवास ऋण की अवधि 20 से 25 साल या और अधिक रखकर उपेक्षित वर्गों को आवास सुलभ कराने में सहायता की जा सकती है।

इसी तरह, यह सुनिश्चित करना होगा कि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की तरफ से दी जा रही अनुदान राशि वांछित निर्धारित ग्रुपों तक पहुंचे।

हम आशा करते हैं कि सरकार एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रयास से ग्रामीण क्षेत्र एवं अन्य उपेक्षित वर्गों को आवास उपलब्ध कराने में आशातीत सफलता मिलेगी।

ओ.पी. पुरी

संपादक

भारत में आवास और कानून

आर.एस.गर्ग,
महाप्रबंधक (विधि)

1. आश्रय मनुष्य की मूल आवश्यकता

1.1 हमारे संविधान की धारा 21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को जीवन या व्यैक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। ''जीवन या व्यैक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार'' वाक्यांश के अन्तर्गत अनेक अलिखित अधिकार आते हैं। संविधान द्वारा जीवन गारंटी के अधिकार का प्रयोग करने के लिए आश्रय का अधिकार अनिवार्य है, यह धारा 21 के अन्तर्गत भी आता है।

1.2 आवास केवल चार दीवारों और ऊपर छत का निर्माण कर लेना ही नहीं है। स्वस्थ मनुष्य जीवन के लिए न्यूनतम बुनियादी आधारिक सुविधाओं का होना भी आवश्यक है। आवासीय ढ़ाचे के अतिरिक्त, यह कुछ सेवाओं के पैकेज को भी संदर्भित करता है जैसे भूमि, सार्वजनिक सुविधाएं और रोजगार तथा अन्य सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता। 1961 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा परिभाषा ठीक ही दी गई कि ''आवास'' वह होता है जिसके लिए रिहायशी वातावरण, आसपड़ोस की जरूरत होती है और मनुष्य उसे आश्रय के लिए इस्तेमाल करता है तथा उस के आसपास अन्य सभी आवश्यक सेवाएं सुविधाएं, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपेक्षित साज-सामान एवं परिवार के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध हो। आवास केवल ''आश्रय या घरेलू सुविधाएं'' मात्र नहीं होता बल्कि उसमें अनेक सुविधाएं व साधन भी उपलब्ध होने चाहिए जिनसे व्यक्ति तथा परिवार समाज से जुड़ता है, जहां व पलता-बढ़ता है। (संयुक्त राष्ट्र 1976, पृष्ठ 1)

2. आवास की कमी- एक बड़ी चुनौती

2.1 आवास वह क्षेत्र है जहां व्यक्ति सामाजिक जीवन जीता है, सामाजिक सुख दु:ख बांटता है, विरोधी तत्वों व उपद्रवों आदि से सुरक्षा पाता है। आवास का अधिकार मौलिक अधिकार होने के बावजूद भी, लाखों लोग देश के अनेक नगरों में पटरियों पर, खुले स्थानों में जीवन व्यतीत करते हैं और आज भी बड़ी तादाद में लोग झुग्गियों में जीवन बसर कर रहे हैं। निम्नलिखित तालिका में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से देश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी दर्शाई गई है:-

वर्ष	आवास की कमी (मिलियन में)		
	ग्रामीण	शहरी	कुल
1951	6.5	2.5	9.0
1961	11.6	3.6	15.2
1971	11.6	3.0	14.6
1981	16.7	7.0	23.3
1991	14.7	8.2	22.9
2001	24.0	7.1	31.1

स्रोत: आवास और बुनियादी सुविधाओं की प्रवृत्ति एवं अंतर, भारत, 2001 हडको द्वारा प्रकाशित

2.2 उपर्युक्त तालिका से आवास की कमी ज्ञात होने पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि एक ''घर'' की धारणा विभिन्न जनगणनाओं के दौरान कभी एक जैसी नहीं पाई गई और इस दौरान ''आवासीय इकाई'' या ''जनगणना घर'' की समय-समय पर भिन्न-भिन्न परिभाषाएं स्वीकार की गई। यदि एक आदर्श आवासीय इकाई'' की गणना में न्यूनतम अपेक्षित सुविधाओं और जीवन संबंधी सुविधाओं को भी शामिल किया जाए तो यह आवसीय कमी और बढ़ जाएगी।

2.3 आवास की इतनी अधिक कमी का कारण हैं (क) जनसंख्या में वृद्धि (ख) संयुक्त परिवारों का विघटन (ग) आर्थिक आज़ादी के कारण नए घरों का बसाव (घ) परिवारों की कम आय (ङ) विशेषकर असंगठित क्षेत्र में लोगों के लिए आवास हेतु निधियों की अपर्याप्त अपलब्धता (च) आवास के लिए विकसित भूमि की कमी (छ) शहरों और अर्ध-क्षेत्रों में विकसित भूमि मंहगी होना (ज) रोज़गार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में जनता का पलायन (झ) और कानूनी बाधाएं। देश में आवास की कमी को दूर करने के लिए अनेक उपायों की जरूरत है जैसे भूमि सुधार, बसाव के लिए भूमि उपलब्ध कराना, पर्यावरण सुधार तथा विधिक सुधार । इस उद्देश्य हेतु चिन्हित किये क्षेत्रों को छोटे और मझोले नगरों के रूप में विकसित करना, आर्थिक एवं बुनियादी ढ़ाचे का विकास, संस्थागत धन की अधिक उपलब्धता, आवास के लिए संसाधन जुटाना, विभिन्न आवसीय क्रियाकलापों के बारे में केन्द्र और राज्य स्तरों पर विशेषज्ञ संगठनों का गठन करना चाहिए।

3. आवास संबंधी कानूनों में सुधार

3.1 केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए विभन्न कानूनों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का आवास संबंधी कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। वर्ष 1986 में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डा.सी.रंगराजन, तत्कालीन उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय ग्रुप की स्थापना की गई जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक के गठन संबंधी प्रस्ताव पर विचार करने का कार्य सौंपा गया। उसने टिप्पणी की ''यह वित्तीय स्रोतों की कमी ही आवास विकास में एकमात्र बाधा नहीं है। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाधाएं हैं जैसे भूमि की अनुपलब्धता, निर्माण लागत अधिक होना तथा कानूनी बाधाएं।'' उच्च स्तरीय ग्रुप द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में मार्टगेज (गिरवी) प्रणाली तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया सरल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि मौजूदा प्रणाली बहुत ही पेचीदा, समय अधिक लगने वाली और मंहगी है जिससे ऋणदाताओं द्वारा ऋण वापसी में देरी या चूक करने की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1992 में आठवीं योजना (1992-97) के लिए गठित आवास क्षेत्र के लिए ''वित्त संबंधी कार्यकारी ग्रुप'' ने भी आवास के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और भारत में गौण/बंधक बाजार विकसित करने के लिए प्रभावशाली कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

3.2 1998 में प्रकाशित भारत सरकार (शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय) की राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति में भी उल्लेख किया गया है कि व्यतिक्रम के मामलों को शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए देश के कानूनों को संशोधित करना आवश्यक है और यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार आर्थिक रियायत देगी, विधिक और विनियामक सुधार करेगी और उसके अनुकूल वातावरण तैयार करेगी। इस नीति के अनुसार विधिक और विनियामक सुधार आवास गतिविधियों के मुख्य आधार एवं स्रोत बनेंगे। विधिक और विनियामक सुधारों की श्रेणी में मुख्य बिंदू हैं- (क) भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन या शहरी क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी नए कानून बनाना (ख) भूमि बाजार में विसंगति को ठीक करने के लिए शहरी भूमि सीमा निर्धारण अधिनियम को निरस्त करना (ग) किराया नियंत्रण कानूनों में संशोधन ताकि किराये हेतु मकानों में निवेश को बढ़ावा मिले (घ) नगर योजना कानूनों और भूमि प्रयोग संबंधी विनियमों में संशोधन ताकि भूमि एसेम्बली, भूमि पूलिंग और भगीदारी व्यवस्था को कानूनी आधार मिले (ङ) विकासकों/भवन निर्माताओं के क्रियाकलापों को नियमित करने के लिए नए कानून बनाना (च) भवन नक्शों को मंजूरी देने की प्रक्रिया सरल बनाना (छ) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनों व अन्यों को घरों के मालिकाना हक देना (ज) व्यतिक्रम के मामले में शीघ्रता से कार्य करने वाली प्रक्रिया तैयार करना (झ) बीमा क्षेत्र से संबंधित अधिनियम को संशोधित करके बंधक बीमा की शरूआत करना (त) सहकारिता कानूनों में संशोधन और अधिकाधिक आवास परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आवास संबंधी नए सहकारिता कानून बनाना (थ) आवासीय सम्पत्ति और आस्ति प्रतिभूतियों पर स्टाम्प शुल्क घटाना (द) स्थावर सम्पदा स्वत्वाधिकार के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया सरल बनाना (ध) भूमि रिकार्ड का आधुनिकीकरण और अद्यतन करना तथा भूमि रिकार्ड व स्वामित्व जांच के लिए टोरेन प्रणाली" आरंभ करना (न) राज्यों द्वारा अपार्टमेंट स्वामित्वाधिकार संबंधी कानून बनाना (प) शहरी नवीनीकरण और गंदी बस्ती सुधारों के लिए नगर निगमों के कानूनों/भवन नियमों एवं योजना विनियमों को संशोधित करना।

4.1 कानूनी पहल

4.1 भाटक आधार के अतिरिक्त स्वामित्व के आधार पर भी आवासीय स्टॉक बढ़ाने के मामले में गतिरोध दूर करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में हाल ही में बहुत से कानूनी एवं विनियामक सुधार किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्न प्रकार से है:-

4.1.1 नगर भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) अधिनियम का निरस्त करना

आवास की मांग का व्यवस्थित भूमि की ज़रूरत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सुगम और उपयुक्त मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता आवासीय वृद्धि के लिए एक अपरिहार्य शर्त है। नगरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, (उनकी कृषि जोत के संबंध में) व्यक्तियों द्वारा जोत भूमि प्रतिबंधित करने के कानून का मुख्य लक्ष्य भूमि का साम्यिक वितरण है। नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधिनियमन में नगरों में खाली पड़ी भूमि की एक अधिकतम सीमा अधिरोपित करने की व्यवस्था करना था जिसका उद्देश्य इस अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी भूमि अधिग्रहीत करना और कुछेक व्यक्तियों के हाथों में नगरीय भूमि के संकेन्द्रण को रोकने की दृष्टि से ऐसी भूमि पर भवन निर्माण को विनियमित करना और लोकहित में भूमि का साम्यिक वितरण करना और उसमें सट्टा तथा मुनाफाखोरी रोकना था। तथापि, यह अधिनियम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। इस अधिनियम के अधीन 2,20,674 हैक्टेयर अधिशेष घोषित भूमि में से केवल 19,020 हैक्टेयर भूमि आवासीय इकाइयों के निर्माणार्थ ली जा सकी थी। इस कानून का क्रियान्वयन भी धीमा था। अधिनियम के बहुत से उपबंध अव्यावहारिक थे। सूचना प्राप्त करने और अतिरिक्त भूमि अवधारित करने की प्रक्रिया लम्बी थी। अधिनियम के अधीन भूमि के अधिग्रहण के लिए निर्धारित मुआवज़ा अयथार्थवादी था । यह कानून भूमि में सट्टा लगाने और मुनाफाखोरी रोकने में भी विफल हो गया। इसीलिए यह केन्द्रीय अधिनियम पंजाब, हरियाणा राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा पारित संकल्प के आधार पर जनवरी, 1999 में निरस्त कर दिया गया था। अधिनियम सभी केन्द्र शासित राज्यों में स्वमेव ही निरस्त हो गया था। उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा ने निरस्त अधिनियम अंगीकार कर लिया है। यह अधिनियम आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में अभी लागू है, क्योंकि उन्होंने अधिनियम को अंगीकृत/निरस्त नहीं किया है।

4.1.2 किराया नियंत्रण कानून

आवासीय और अन्य सम्पत्तियों का "पट्टा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1982" के उपबंधों के अनुसार विनियमिन किया जाता था। देश में किराया नियंत्रण कानून युद्ध के समय और युद्धोत्तर आवासीय संकट से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में द्वितीय विश्व के दौरान लागू किया गया था और यह अर्धशहरी तथा शहरी क्षेत्रों में लागू किया गया था।

ये कानून आज तक चले आ रहे हैं। इन कानूनों में भवनों का पट्टे पर देने, भाड़ा/मानक किराया नियत करके, मनमानी बेदखली से किराएदार को संरक्षण, भवन के अनुरक्षण और रख-रखाव के बारे में स्वामियों के दायित्व, दुरूपयोग अथवा किराए का भुगतान नहीं करने इत्यादि के मामले में कब्ज़ा वापस लेने के स्वामियों के अधिकार की व्यवस्था है। इन कानूनों के उपबंध पर्याप्त रूप से किराएदारों के पक्ष में और भाटक आधार पर दिए जाने वाले मकानों के निर्माणार्थ एक व्यापक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करते हैं। किराएदारों द्वारा लिए गए भवनों की दशा जीर्णावस्था में हो चली है क्योंकि मकान मालिक मरम्मत कराना नहीं चाहते हैं। किराए के उद्देश्य से मकान बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने और/अथवा उनके कब्जाविहीन मकानों को किराए पर देने के उनके किराया कानूनों में अंगीकरण/संशोधन के लिए 1992 में केन्द्र सरकार ने राज्यों की सरकारों में आदर्श किराया नियंत्रण कानून प्रचारित किया था। आदर्श कानून में किराया नियंत्रण कानून के क्षेत्र से 15 वर्षो की एक अवधि के लिए नए निर्माण से छूट, बेदखली

की क्रियाविधि को कारागर और सरल बनाने, बेदखली का प्रासंगिक आधार, निर्माण की लागत से जुड़े मानक किराए का नियतन तथा किराया अधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की सरकार ने आदर्श विधान की तर्ज़ पर संबंधित कानूनों को संशोधित किया है। कुछ अन्य राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी आदर्श कानून की तर्ज़ पर अपने किराया नियंत्रण कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया में हैं। दिल्ली किराया नियंत्रण कानून, 1995 भी आर्दश विधान पर आधारित है, किन्तु इसके कुछ उपबंध मुख्य रूप से व्यापारियों/किराएदारों के अवरोध के कारण लागू नहीं किए जा सके हैं।

4.1.3 मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क

मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण के प्रभारों से मकान तय करने की लागत बढ़ती है। सम्पत्ति हस्तांतरण के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त दस्नावेज़ों पर राज्य में लागू मुद्रांक कानून के अनुसार, मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क लगता है। कुछ राज्यों ने हक विलेख जमा करके बंधक पर भी मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क लागू किया है, उससे भी आवास के प्रयोजनार्थ उधार लेने की लागत बढ़ी है। दस्तावेज़ों पर मुद्रांक (स्टाम्प) शुल्क राज्य सरकारों के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत रहा है और व राजस्व बढ़ाने के लिए बढ़ी स्टाम्प डयूटी को बहाल करते हैं जिसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न राज्यों में स्टाम्प शुल्क में भारी विषमताएं हो गईं। स्टाम्प शुल्क में भारी वृद्धि के कारण, पक्षकारों ने ऐसे बढ़े हुए शुल्क से बचने के रास्ते निकाल लिए। सम्पत्तियां अविकल्पी मुख्तारनामे के ज़रिए हस्तांरित होनी शुरू हो गईं। इसके परिणामस्वस्प, न केवल राज्यों के राजस्व में हानि हुई, अपितु क्रेता-मुख्तारनामा धारक के हक विलेख में भी गलतियाँ हो गईं। कुछ राज्य सरकारों ने स्टाम्प शुल्क की उपेक्षा रोकने के लिए कदम उठाए और मुख्तारनामे पर हस्तांतरण के रूप में स्टाम्प शुल्क अधिरोपित कर दिया जिससे अन्य जटिलताएं पैदा हो गईं। अभी तक बंधक से समर्थित ऋण कानून में अचल सम्पत्ति माने जाते हैं, प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य से उनके हस्तांतरण पर भी अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के रूप में स्टाम्प शुल्क लगता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यों और दिल्ली सरकार ने ऐसे ऋणों पर नाममात्र की स्टाम्प शुल्क की राशि अर्थात् 0.1% कर दी है। इस प्रकार देश में बंधक ऋणों के प्रतिभूतिकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। राष्ट्रीय आवास बैंक आवास क्षेत्र के लिए अधिक संसाधन पैदा करने के लिए प्रतिभूतिकरण लेनदेन पर राज्य सरकारों के साथ स्टाम्प शुल्क घटाने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है।

4.1.4 राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में संशोधन

वर्ष 2000 में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में निम्नलिखित कार्यो के लिए संशोधन किया गया था:-

क. राष्ट्रीय आवास बैंक को आवास ऋणों का प्रतिभूतिकरण करने में सशक्त करने,

ख. उन अनुमोदित संस्थानों, जिनमें आवास वित्त कंपनियां, और अनुसूचित बैंक शामिल हैं, को न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना उनके पक्ष में निर्मित प्रतिभूतियों को प्रवर्तित करके व्यतिक्रम में उनकी देय राशियां वसूल करने के लिए गृह ऋणों के प्रतिभूतिकरण को सुलभ बनाने के लिए प्रतिभूतिकरण के लेनदेन में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी प्रतिभूतियों के पंजीकरण और धारकों द्वारा उनके पश्चात्वर्ती हस्तांतरण की ज़रूरत समाप्त कर दी गई। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण भी भू राजस्व की पिछले बकाया के रूप में वसूली योग्य बनाए गए। राष्ट्रीय आवास बैंक उन राज्यों, जिन्होंने स्टाम्प शुल्क कम कर दिया है, से प्रवर्तित कुल 663.92 करोड़ रूपए के ऋणों को पहले ही प्रतिभूतिकृत कर चुका है।

4.1.5 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम को आवास वित्त कंपनियों के लिए बढ़ाया गया

चूक करने वाले उधारकर्ताओं से अपनी देय राशियां वसूल करने में आवास वित्त कंपनियों की सहायतार्थ, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय आवास बैंक के अनुरोध पर, राष्ट्रीय आवास बैंक में पंजीकृत और 10 करोड़ अथवा इससे अधिक रूपए की टियर-1 पूंजी रखने वाली आवास वित्त कंपनियों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया हैं ।

4.1.6 सहकारी आवास समितियों, अर्पाटमेंट स्वामित्व और स्थावर संपदा विकास विनियमन बिल के लिए आदर्श कानून

सहकारी आवास समितियों के क्रियाकलापों को सुगम बनाने और उन्हें समुचित कार्यढांचा प्रदान करने के लिए, आदर्श कानून प्रारूपित किया गया है जिसमें पंजीकरण, सदस्यता, प्रबंधन, व्यापारिक लेनदेन, देय राशियों की वसूली, निर्माणोत्तर अनुरक्षण प्रबंधन समिति की शक्तियों एवं प्रकार्यो तथा सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्यों इत्यादि तथा संबंधित सहकारी कानूनों में अंगीकरण/शामिल करने के लिए राज्यों में परिचालित कानूनों से सबंधित उपबंध शामिल हैं। दिल्ली, गोवा, जम्मू एवं कश्मीर तथा मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपने संबंधित सहकारी अवास समिति अधिनियम में सहकारी आवास पर एक पृथक अध्याय शामिल किया है। इसी प्रकार से आदर्श अर्पाटमेंट स्वामित्व कानून राज्यों में अंगीकरण/संशोधन के लिए परिचलित किया गया था। मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मामले में राज्य अधिनियम संशोधित कर दिए गए हैं। आदर्श कानून में (क) स्वामित्वाधीत फ्लैटों के संवर्धन, निर्माण विक्रय, प्रबंधन एवं अंतरण (ख) किसी भवन में वैयक्तिक अपार्टमेंट के स्वामित्व के लिए प्रावधान और इसे पेतृक संपत्ति अंतरण योग्य बनाने और (ग) प्रवर्तकों तथा सम्पदा अभिकर्ताओं के अनिवार्य पंजीकरण शामिल हैं। भवन निर्माताओं और प्रवर्तकों की गतिविधियां विनियमित करने के लिए एक आदर्श स्थावर सम्पदा विकास विनियमन बिल भी अंतिम चरण में है।

4.1.7 अन्य पहल

कुछ राज्यों ने भवन निर्माण योजना मंजूर करने और पूर्णता प्रमाण-पत्र इत्यादि देने की क्रियाविधि को सरल एवं कारगर बनाने के लिए भी पहल की है। कुछ मामलों में राज्य अभिकरणों द्वारा पट्टे वाली सम्पत्तियों को पूर्ण स्वामित्वाधीन सम्पतियों, जिनमें मुख्तारनामे के आधार पर रखी सम्पत्ति भी शामिल है, में संपरिवर्तित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। कुछ मामलों में सम्पत्ति कर के मामलों में भी सुधार हुए हैं। पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन 2001 में किया गया था जिसमें लेखाबहियों को कंप्यूटर की फ्लॉपियों, डिस्केट्स में रखने की व्यवस्था की गई थी जिससे कि भूमि रिकॉर्ड की संगणना में सहायता मिल सके। वास्तव में, कुछ राज्यों में भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। उन अधिभोगियों को कुछ राज्यों द्वारा वास-भूमि (क्षेत्र) अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो कतिपय विनिर्दिष्ट समुदायों से संबंध रखते हैं।

5. सुधारों के लिए दसवीं योजना में प्रोत्साहन

5.1 सुधार प्रक्रिया को तेज करने के लिए, भारत सरकार ने नगर सुधार प्रोत्साहन कोष 500 करोड़ रूपए वार्षिक के परिव्यय से स्थापित किया है जो कि राज्यों को सुधार से जुड़ी सहायता प्रदान करने के लिए 10वीं योजना में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में है। इसमें शमिल कुछ सुधारपरक उपाय निम्नलिखित हैं:-

क. नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम का निरसन।
ख. 10वीं योजना के अंत तक स्टाम्प शुल्क को 5% तक नीचे लाना।
ग. किराया नियंत्रण कानूनों में सुधार।
घ. पंजीकरण की प्रक्रिया की कंप्यूटरीकृत शुरूआत।

शामिल किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित क्षेत्र हैं:-

क. भवन निर्माण, निर्माणस्थलों के विकास के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना।
ख. कृषि भूमि का गैर-कृषि कार्यो में संपरिवर्तित करने के लिए कानूनी एवं क्रियाविधिक कार्यढांचे को सरल बनाना।
ग. सम्पत्ति हक की प्रमाणन प्रणालियां शुरू करना।

5.2 नगर चुनौती कोष (सिटी चैलेंज फंड) नामक एक अन्य कोष भी संस्थापित किया गया है। इस कोष का उद्देश्य संस्थागत और परिचालनात्मक प्रभारों का समर्थन करना है। यह कोष नगरपालिका प्रबंधन और सेवा देने की विश्वसनीय संस्थागत प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए ट्रांजिट लागत को पूरा करने के लिए एक प्रोत्साहन आधारित अनुदान सुविधा है।

6. भावी कार्य योजना

विभिन्न प्रोत्साहन, जिनका विवरण ऊपर दिया गया है, कानूनी सुधारों के क्षेत्र में पर्याप्त नहीं हैं। यह आवश्यक है कि राज्य विषय व प्रक्रिया को समझें और कानूनी सुधारों को गम्भीरता से क्रियान्वित करें। इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य क्षेत्र, जहां सुधारों की आवश्यकता है, निम्न प्रकार से हैं :-

6.1 ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण प्राप्त करना कठिन लगता है क्योंकि उनके पास उनकी संपत्तियों, विशेष रूप से आबादी/लाल डोरा स्थित संपत्तियों/पुरमबोक्कु भूमि का हक नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने घोषणा द्वारा प्रभार निर्मित करने के लिए सुझाव दिया है, जैसा कि हक दस्तावेज की समस्या से पार पाने के लिए कृषि ऋणों हेतु राज्यों में प्रचलित है।

6.2 राज्यों को हक के पंजीकरण का टोरेन सिस्टम लागू करने के लिए राजी करना चाहिए। 'टोरेन सिस्टम' पंजीकरण प्रक्रिया, अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व सिद्ध करने और अंतरण के लिए एक वैकल्पिक पद्धति है। पंजीकरण प्रक्रिया पर सक्षम सरकारी प्राधिकारी अथवा रजिस्ट्रार की मुहर होनी चाहिए। विक्रय, उपहार, बंधक, इत्यादि द्वारा भूमि के लेनदेन को पंजीकृत करने की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर हक पंजीकरण प्रणाली रखने की जरूरत है।

6.3 आवास क्षेत्र के लिए और अधिक संसाधन जुटाने के लिए, 'प्रतिभूतिकृत लिखत प्रतिभूति संविदा विनियमन' अधिनियम के अधीन यथा प्रतिभूति घोषित की जानी चाहिए, जिससे भविष्यनिधि, सेवानिवृत्ति और उपदान (ग्रेच्युटी) फंड को प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में जारी की गई प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सके।

6.4 हक बीमा योजना प्रारम्भ करना।

6.5 भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण।

6.6 उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों, जिनमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इत्यादि आते हैं, की भांति देश के कतिपय क्षेत्रों में और इसी प्रकार कबीलों की प्रधानता वाले कुछ उत्तरी पर्वतीय इलाकों में भी कोई लिखित कानून नहीं है और जनजाजीय और प्रथागत कानून विद्यमान है। इसलिए, वास्तविक अर्थ में व्यक्तियों के पास अधिकारों का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं है और अधिकार समुदाय अथवा ग्राम विकास परिषदों में निहित हैं। ऐसे मामलों में प्रतिभूति निर्मित करने की क्रियाविधि को भी विकसित करने की जरूरत है।

7. उपसंहार

7.1 सुलभ और सामर्थ्ययोग्य ब्याज दरों पर ऋण की उपलब्धता निश्चित रूप से देश में गृह विहीनता के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगी। आवास क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्त की उपलब्धता में पिछले कुछेक वर्षों में सार्थक वृद्धि हुई है। किंतु इसके साथ ही, धोखाधड़ी के उदाहरण भी देखने में आए हैं। यह मुख्य रूप से हक के सत्यापन अथवा संपत्तियों पर वर्तमान प्रभारों के लिए विश्वसनीय प्रलेखों/साधनों के अभाव के कारण हुआ है। यहां सिविल का प्रयोग करके बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा आवास ऋणों में व्यतिक्रमियों के बारे में सूचना के आदान-प्रदान की जरूरत है। केन्द्रीय रजिस्ट्री के बारे में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के उपबंधों को भी यथाशीघ्र प्रवर्तन में लाए जाने की जरूरत है।

7.2 ''सबके लिए आवास'' का अंतिम लक्ष्य केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है, यदि आवास क्षेत्र में विधिक एवं विनियामक सुधार वित्तीय एवं अन्य सुधारों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।

उत्तम शहरी अभिशासन के लिए पहल

आदित्य शर्मा
उप प्रबंधक

भूमिका

सार्वजनिक प्रशासन में सभी प्रकार की कमियों को दूर करने के लिए ''उत्तम अभिशासन'' पूरे संसार में रामबाण सिद्ध हुआ है। वास्तव में आज इस बात पर सभी एकमत हैं कि जब तक अभिशासन ''अच्छा'' नहीं होगा तब तक सेवा या उत्पाद उचित नहीं होगा। पिछले कुछ समय में अनेक व्यक्तियों और संगठनों ने अभिशासन से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। पृथक परिदृश्य में अभिशासन को भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। एक परिभाषा के अनुसार, ''जिस प्रकार पणधारी सार्वजनिक नीतियों के परिणामों से प्रभावित करने के लिए एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं ''सार्वजनिक अभिशासन कहलाता है।'' विश्व बैंक के अनुसार, ''जिस प्रकार से किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के विकास के लिए शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, ''अच्छा अभिशासन होता है।'' आज ऐसी दर्जनों परिभाषाएं हैं कि अभिशासन तथा अच्छा अभिशासन क्या होता है। तथापि, संक्षेप में अच्छे अभिशासन की निम्नलिखित दस विशेषताएं होती हैं :-

- नागरिकों की भागीदारी, सहभागिता और संतुष्टि
- निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता
- की गई कार्रवाई की जवाब देयता
- समानता एवं सामाजिक साझेदारी
- नीति परक और ईमानदारी भरा व्यवहार
- वैश्विक आधार पर प्रतियोगिता करने की क्षमता
- सेवा उपलब्ध कराने की क्षमता
- जनतांत्रिक मूल्यों का आदर
- कानून के शासन का आदर
- उपयुक्त प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल और पर्यावरण का संरक्षण

उत्तम शहरी अभिशासन के लिए अभियान

संयुक्त राष्ट्र-हैबीटैट ने हैबीटैट एजेंडा ''शहरीकरण होते विश्व में मानव बसाव को विकसित करना'' के क्रियान्वयन की सहायतार्थ वर्ष 1999 में ''शहरी अभिशासन के लिए वैश्विक अभियान'' शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य उन्नत शहरी अभिशासन द्वारा निर्धनता का उन्मूलन करना है। आज अधिकांशत: ऐसा विश्वास किया जाता है कि निर्धनता उन्मूलन और शहरों को समृद्ध करने के लिए अभिशासन की गुणवत्ता एक मुख्य कारण है। संयुक्त राष्ट्र-हैबीटैट भी ''शहर सहित'' की विचारधारा का प्रचार कर रहा है, एक ऐसा शहर जहां समानता के साथ उन्नति को बढ़ावा मिलता है, एक ऐसा स्थान जहां प्रत्येक को, अर्थात उसकी आर्थिक स्थिति, स्त्री-पुरुष, जाति-धर्म का विचार किये बिना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्यों में भाग लेने का पूरा हक हो।

अभियान के अनुसार ''उत्तम अभिशासन'' में व्यक्ति और संस्थान, सार्वजनिक और निजी, शहर के सामान्य कार्यों की योजना बनाते और प्रबंधन करते हैं। यह सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा विरोधाभासी या विपरीत हितों को समायोजित किया जा सकता है तथा सहकारी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें औपचारिक संस्थान तथा अनौपचारिक व्यवस्था तथा नागरिकों की सामाजिक पूंजी शामिल होती है।

इसके अतिरिक्त, अभियान में भी उत्तम शहरी अभिशासन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

''शहरी अभिशासन व्यक्तियों के कल्याण के साथ घनिष्ठता से सम्बद्ध है। अच्छे शहरी अभिशासन में शहरी लोगों को मिलने वाले लाभों को पाने के लिए स्त्री-पुरुषों को अवसर मिलना चाहिए। उत्तम शहरी अभिशासन, जो शहरी नागरिकता के सिद्धान्त पर आधारित होता है, निश्चित करता है कि किसी भी स्त्री, पुरुष तथा बच्चे को शहरी अनिवार्यताओं से वंचित नहीं रखना चाहिए- जैसे समुचित आश्रय, कार्य की सुरक्षा, स्वच्छ पानी, सफाई, स्वच्छ वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा और पौष्टिक आहार, रोज़गार और सार्वजनिक सुरक्षा एवं आवागमन की सुविधा। उत्तम शहरी अभिशासन में नागरिकों को एक ऐसा मंच मिलता है जहां वे अपनी सामाजिक व आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए अपनी पूरी योग्यता का प्रयोग कर सकेंगे।''

संयुक्त राष्ट्र-हैबीटैट का मत है कि उत्तम शहरी अभिशासन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं:

- अक्षणुता
- सहायक
- समानता
- दक्षता
- पारदर्शिता एवं जबावदेयता
- नागरिक संलग्नता एवं नागरिकता और
- सुरक्षा

उपर्युक्त के आधार पर, अनेक देशों ने अपनी-अपनी जरूरतों के अनुसार उत्तम शहरी अभिशासन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाएं बनाई हैं।

भारत में शहरी परिदृश्य

भारत एक विशाल देश है जिसमें 28 राज्य, 6 संघ शासित क्षेत्र और एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। देश का लगभग एक तिहाई भाग शहरीकृत है। हालांकि, ऐसा विश्वास किया जाता है कि अगले कुछ दशकों में देश की लगभग आधी आबादी शहरी क्षेत्रों में रहने लगेगी। यह स्पष्ट है कि फिलहाल शहरों में चल रही शासन प्रणाली के फलस्वरूप गंभीर समस्याएं पैदा होंगी। वर्ष 1991 में, केवल 23 महानगर थे (जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी) जबकि आज इनकी संख्या बढ़कर 35 हो गई है। इसी प्रकार, उस समय देश में शहरी क्षेत्रों की कुल संख्या लगभग 4000 थी जो वर्ष 2001 तक बढ़कर 5000 से अधिक हो गई। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या दर्शाई गई है। शहरी जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही शहरों की शासन व्यवस्था भी आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण हो जाएगी।

शहरी जनसंख्या और शहरीकरण का स्तर:

राज्य	जनसंख्या			शहरीकरण का स्तर (%)		
	1991	1998	2001	1991	1998	2001
आंध्र प्रदेश	17887126	19680821	20503597	26.89	27.02	27.07
अरुणाचल प्रदेश	110628	180528	222688	12.80	17.74	20.41
असम	2487795	3089097	3389413	11.10	12.21	12.72
बिहार	11353012	13581551	14665897	13.14	13.29	13.36
गोवा	479752	605402	668869	41.01	46.96	49.77
गुजरात	14246061	17382877	18899377	34.49	36.47	37.35
हरियाणा	4054744	5405349	6114139	24.63	27.61	29.00
हिमाचल प्रदेश	449196	546804	594881	8.69	9.44	9.79
जम्मू-कश्मीर	1839400	22883525	2505309	23.83	24.56	24.88
कर्नाटक	13907788	16607781	17919858	30.92	33.03	33.98
केरल	7680294	8086524	8267135	26.39	26.09	25.96
मध्य प्रदेश	15338837	18981162	20277919	23.18	24.86	24.98
महाराष्ट्र	30541586	37545895	41019734	38.69	41.25	42.40
मणिपुर	505645	550154	570410	27.52	24.92	23.88
मेघालय	330047	411700	452612	18.60	19.31	19.62
मिजोरम	31796	399798	441040	46.09	48.45	49.49
नागालैंड	208223	301194	352821	17.21	17.58	17.74
उड़ीसा	4234983	5082832	5496318	13.37	14.47	14.97
पंजाब	5993225	7492944	8245566	29.55	32.56	33.95
राजस्थान	10067113	12173027	13205444	22.88	23.23	23.38
सिक्किम	37006	51905	60005	9.10	10.46	11.10
तमिलनाडु	19077592	24480449	27241553	34.15	40.69	43.86
उत्तर प्रदेश	17605915	33684103	36682874	12.65	20.66	21.02
पश्चिम बंगाल	18707601	21278964	22486481	27.48	27.86	28.03
केन्द्र शासित प्रदेश						
अंडमान-निकोबर	74810	101994	116407	26.80	30.8	32.67
चंडीगढ़	574646	729974	808796	89.68	89.75	89.77
दादरा व नगर हवेली	11720	32562	50456	8.47	16.98	22.89
दमन और दीव	47538	54190	57319	46.86	39.16	39.26
दिल्ली	827093	11303661	12819761	89.93	92.08	93.01
लक्षदीप	29089	27573	26948	56.28	47.73	44.47
पांडिचेरी	516934	605679	648233	64.05	65.80	66.56
कुल	207565056	259367803	285354954	24.57	26.76	27.78

स्रोत: भारत की जनगणना रिपोर्ट से संकलित।

शहरी अभिशासन की पद्धति

भारत में शहरों की शासन पद्धति जटिल है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय अभिशासन की साझेदारी होती है। हालांकि नगर पालिकाओं या शहरी स्थानीय निकायों को अधिकांशत: स्थानीय कार्य सौंपे जाते हैं, तब भी उन्हें उनकी स्वीकृति के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता हैं। बड़ी परियोजनाओं को केन्द्र सरकार की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यों जैसे, जलापूर्ति और मलव्ययन बोर्ड, आवास बोर्ड, विद्युत बोर्ड, विकास प्राधिकरण आदि के लिए अनेक समतुल्य निकायों का भी गठन किया गया है। राज्य सरकार के भी अनेक विभाग जैसे नगर योजना विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल आपूर्ति विभाग, सड़क और भवन निर्माण विभाग आदि, सृजित किये गये हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अक्सर, इस जटिल संगठनात्मक व्यवस्था में, उत्तम शहरी अभिशासन के सिद्धान्त गुम हो जाते हैं। इसमें अधिकतर शासन प्रणाली नीचे से ऊपर की ओर जाने की बजाय ऊपर से नीचे की ओर जाती है। शहरी शासन पद्धति में सामान्य समस्याएं अनेक संगठनों का जमावड़ा है और इस कारण निर्णय लेना कठिन होता है। उनके कार्य और उत्तरदायित्व अक्सर पूरी तरह स्पष्ट नहीं होते हैं और इस कारण समन्वय मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय अभिशासन पद्धति ऐसी होती है जिसमें वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती है और इस कारण परियोजनाएं या तो शुरू ही नहीं हो पाती हैं या उनमें विलम्ब होता है। शहरी शासन पद्धति का अनेक कमियों को दूर करने के लिए, देश के संविधान में वर्ष 1992 में 74वां संशोधन किया गया जिससे अच्छी शासन व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

उत्तम अभिशासन के लिए पहल

संविधान में 74वें संशोधन के बाद से शहरी स्थानीय निकायों में आमूल परिवर्तन हुए। शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिल गया और अनेक सिविल कार्यों को करने का अधिकार मिल गया। इस अधिनियम के फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों को प्रशासन में स्पष्ट स्थान मिल गया और अब केन्द्र तथा राज्य सरकारों से इन शहरी स्थानीय निकायों को निधियां उपलब्ध होने लगीं। जिला योजना समितियों, महानगरीय समितियों और वार्ड समितियों में इनकी साझेदारी हो गई। फलस्वरूप शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेहतर शहरी शासन के लिए अनेक सुधारात्मक सुझाव दिये गए जिनमें से कुछ निम्नानुसार है:

सम्पत्ति कर सुधार : भारत में सम्पत्ति कर के लिए वार्षिक कर निर्धारण विधि लोकप्रिय है। हालांकि, कुछ राज्यों में इस प्रणाली में अनेक समस्याएं पैदा होने के कारण इसे छोड़कर, एक नई प्रणाली ''यूनिट मूल्य'' आधारित अपनाई गई। इस मॉडल में नगर को अलग-अलग जोनों मे बांटा जाता है। इसमें सभी भूखंडों और भवनों पर कर देय होगा। कर की दर निर्धारित करने के लिए स्थान, निर्माण की गुणवत्ता, भवन निर्माण होने की आयु और उसके प्रयोग को दृष्टिगत रखा जाता है। उन्हें विभिन्न ग्रेडों में विभाजित करके उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है। यूनिटों का मूल्य एक रेडी-रेकनर के रुप में निर्धारित हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नगर पालिका कानूनों को भी संशोधित किया है जिससे किराया नियंत्रण कानून का मानक किराया सिद्धान्त सम्पत्ति कर बेस के मूल्यांकन से अलग हो जाये। यूनिट मूल्य प्रणाली में पारदर्शिता, उद्देश्य परक और सरलता होने के बावजूद लोच नहीं है क्योंकि यूनिट मूल्य स्थिर कर दिये हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए यूनिट मूल्यों की आवधिक आधार पर समीक्षा करने और मुद्रा स्फीति के अनुरूप बनाये रखने की आवश्यकता होगी।

लेखा संबंधी सुधार-नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के कार्यालय ने सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों में लेखा का प्रोद्भवन आधार अपनाया जाये। इसके अतिरिक्त, उसने कुछ और सिफारिशें की हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए लेखा एवं बजट फार्मेट तैयार किये हैं। लेखा के रख-रखाव के लिए फार्मेटों का विस्तृत सेट भी तैयार किया है। अत: यदि शहरी स्थानीय निकाय इस कार्य बल के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हैं तो लेखा प्रणाली व्यवस्थित हो जाएगी। फलस्वरूप वित्तीय स्थिति बेहतर ढंग से प्रस्तुत की जा सकेगी और इस कारण स्थिति में पारदर्शिता आएगी जिससे प्रबंधन निर्णय ले सकेगा। इससे लेखा परीक्षकों को भी वित्तीय स्थिति सुस्पष्ट समझने में मदद मिलेगी और तब वे निरीक्षकों के तौर पर अपनी भूमिका अच्छी तरह निभा सकेंगे। आईसीएआई ने स्थायी निकायों द्वारा लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक तकनीकी मार्ग-दर्शक वर्ष 2000 में प्रकाशित किया। इस प्रकाशन में शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रोद्भवन आधारित लेखा अपनाने को कहा गया है। उपर्युक्त के आधार पर, कुछ शहरी स्थानीय निकायों ने, विशेषकर तमिलनाडु और गुजरात राज्यों में, उल्लेखनीय सुधार किये हैं। हालांकि, वित्तीय जवाबदारी केवल लेखा संबंधी सुधारों से नहीं आएगी बल्कि समग्र कार्य प्रणाली में कुछ अन्य सुधार भी आवश्यक हैं।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और गैर-सरकारी संगठन:

अनेकों शहरी स्थानीय निकायों तथा आवास बोर्डों एवं विकास प्राधिकरणों ने सेवा उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र की भागीदारी शुरू कर दी है। कूड़ा प्रबंधन के क्षेत्र में, बंगलौर शहर का स्थान सर्व प्रमुख है। शहर के अनेक भाग निजी क्षेत्र को अनुबंध पर दे दिये गये हैं। शासन की भूमिका निगरानी की है तथा निजी क्षेत्र वास्तव में अच्छी सेवा कर रहे हैं और जनता पहरेदारी का अच्छा काम कर रही है। विशाखापत्तनम शहर में, जलापूर्ति और सड़कों की बत्तियों की व्यवस्था का काम निजी अनुबंधकर्ताओं को दिया गया है। इस प्रकार की व्यवस्था के लाभ सामने आने लगे हैं और इसी कारण

अनेक नगर पालिकाएं निजी क्षेत्र को अनुबंध सौंपने पर विचार कर रही हैं ।

गैर- सरकारी संगठन- जो सामाजिक सेवा तथा विकास कार्यो में रुचि लेते हैं, भी बेहतर शहरी शासन उपलब्ध कराने में अहम् भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, कुछ मामलों में स्थानीय लाभार्थी समुदाय स्वयं ही शामिल होता है, अन्य अनेक मामलों में एक गैर-सरकारी संगठन को बाह्य एजेंट के रुप में शामिल किया गया है। ऐसे अनेक गैर-सरकारी संगठन हैं जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, महिला, शिशु, जल, सफाई और शिक्षा आदि में कार्य कर रहे हैं।

नगर पालिका बांड- अभी तक 9 शहरों ने नगर पालिका बांडों के रुप में पूंजी बाजार से 6,975 मिलियन रु. जुटाये हैं। इसके अतिरिक्त, बंगलौर और इंदौर को छोड़ कर, अन्य शहरों ने सरकारी गारंटी भी नहीं दी है। अहमदाबाद, हैदराबाद और तमिल-नाडु जल एवं सफाई पूल्ड फंड ने कर-मुक्त नगर पालिका बांड जारी किये हैं।

पूल आधारित वित्त पोषण- पूंजी बाजार से नगर पालिका बांडों के द्वारा धन जुटाने का काम महानगरों में बड़े नगर निगमों द्वारा ही संभव है क्योकि उनका ठोस आर्थिक आधार होता है। छोटे व मध्य आकार के नगर, जिनकी संख्या सबसे अधिक (1561)है अकेले पूंजी बाजार से धन जुटाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि उनकी अपनी साख नहीं होती है। इसके अतिरिक्त, यह किफायती भी नहीं होगा। छोटी नगर पालिकाओं का ऋण के रूप में सहायता करने के लिए विश्व के अनेक देशों में पूल आधारित वित्त पोषण की व्यवस्था है। ये राज्य द्वारा प्रायोजित बिचौलिए होते हैं जो अनेक छोटी नगर पालिकाओं के लिए अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण उपलब्ध करा सकते हैं। पूल आधारित वित्त पोषण प्रणाली छोटे और मध्य आकार के नगरों के लिए ऋण कोष के रूप में काम करती है। तमिलनाडु राज्य में वाटर एंड सेनीटेशन पूल्ड फंड का अगस्त 2002 में गठन कर शुरूआत की गई। इसका प्रबंधन बहु-क्षेत्रीय तमिलनाडु शहरी बुनियादी वित्तीय सेवा लि. (टीएनयूआईएफएसएल) द्वारा किया जाता है, यह छोटे और मध्य आकार के नगरों में नगर पालिकाओं की मार्फत जलापूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण करती है। इसने 14 नगर पालिका क्षेत्रों में जलापूर्ति और सफाई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि के 9.20% ब्याज दर के बांड जारी करके पूंजी बाजार से 30 करोड़ रु. जुटाए। अन्य राज्यों में भी समान प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिशा-निर्देश तैयार किये हैं जिनसे विभिन्न राज्यों में पूल आधारित वित्तीय ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी।

ई-अभिशासन- अनेक शहरी स्थानीय निकायों ने बेहतर शहरी शासन के लिए ई-अभिशासन विधि को अपना लिया है। इसका एक प्रमुख उदाहरण विशाखापत्तनम नगर निगम की ''सौकार्यम्'' है। इस प्रणाली में आम जनता की सुविधा के लिए शहरी स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर विस्तृत सूचना उपलब्ध करायी गई है। भुगतान करने के संबंध में मार्ग बताए गए हैं ताकि लोग सम्पत्ति कर तथा अन्य देयों का सुगमतापूर्वक भुगतान कर सकें। वास्तव में, कोई यह भी देख सकता है कि किसी सम्पत्ति कर के लिए मूल्यांकन किस प्रकार किया गया है। जन्म मरण के प्रमाण-पत्र भी इंटरनेट से लिये जा सकते हैं। विजयवाड़ा नगर निगम ने एक अन्य सिस्टम ''सिटीकेबल सिस्टम'' विकसित किया है जिसमें स्थानीय टेलीफोन के साथ-साथ टीवी तथा स्थानीय केबल कनैक्शनों का प्रयोग किया जा सकता है ताकि गृहणियां सिस्टम को आसानी से संचालित कर सकें और सिस्टम के द्वारा अपनी शिकायतें आदि दर्ज करा सकें। दिल्ली नगर निगम भी अपने निवासियों की सुविधा के लिए यूनिट एरिया विधि से संबंधित सूचना और भुगतान माध्यमों की सूचना नेट पर उपलब्ध कराने पर विचार कर रहा है।

भावी उपाय: संयुक्त राष्ट्र-हैबीटेट ने शहरों में अच्छी शहरी शासन व्यवस्थाक के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित संकेतक निर्धारित किये हैं:-

- आय का मुख्य स्रोत
- स्थानीय सरकार के बजट में स्थानान्तरणों की सम्भावना
- नागरिक सेवाओं के लिए प्रकाशित कार्य निष्पादकता का मानक
- उपभोक्ता संतुष्टि
- भावी कार्यक्रमों का उल्लेख
- नागरिक चार्टर: मूल सुविधाओं का अधिकार
- महिला पार्षद
- जल के लिए गरीबोन्मुखी नीतियां
- अनौपचारिक कारोबार के लिए प्रोत्साहन
- निर्वाचित नगर निगम परिषद एवं
- निर्वाचित मेयर, आदि

भारत प्रगति पथ पर अग्रसर है। अच्छे शहरी शासन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। अनेक अच्छी योजनाओं पर पिछले कुछ समय से कार्रवाई हो रही है। अच्छे शहरी शासन को आगे बढ़ाने हेतु अभी सभी शहरी स्थानीय निकायों में सुधार की आवश्यकता है। ज़रूरत इस बात की है कि जिन नीतियों पर कार्य चल रहा है उन्हें स्थानीय परिप्रेक्ष्य में अपनाया जाये।

अच्छे शहरी शासन के संकेतक जांच बिंदु के रूप में कार्य करेंगे जिससे देखा जा सकता है कि अच्छे शहरी शासन की दिशा में उसकी क्या स्थिति है।

पश्चिमी बंगाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

रानु गांगुली,
उप प्रबन्धक

प्रस्तावना

आधारिक विकास सामान्यतया लोगों और विशेष रूप से समुदाय के समग्र विकास को सुगम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे विकास का निधिकरण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अर्थक्षम विषय है। विकास का वित्तपोषण किस प्रकार किया जाए और विकास के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं, यह विनिश्चय करना आर्थिक नियोजन का एक निर्णायक भाग होता है। समाजवादी नियोजन में, वित्तीय पहलू पूर्णतया जनता के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन होते हैं, जबकि व्यापक योजनाओं में, कुल मिलाकर सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और एक दूसरे के अनुकूल, वैयक्तिक क्षेत्र के लिए पूर्वानुमान करने तथा योजना बनाने के प्रयत्न शामिल हैं।

पश्चिमी बंगाल की आबादी 2001 में 80.2 मिलियन थी । केन्द्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों की तुलना में, सरकार के राजनीतिक एवं सामाजिक-आर्थिक विचार भिन्न होने के बावजूद भी, आर्थिक सुधार, जिसे सामान्यत: वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के नाम से जाना जाता है, के आगमन के साथ वर्तमान पश्चिमी बंगाल के अवबोधन में भारी परिवर्तन हुआ है। संसार बदल रहा है, भारत बदल रहा है और उनके साथ-साथ चलते हुए पश्चिमी बंगाल बदल रहा है। अब जो सार्वजनिक निजी-भागीदारी है (पीपीपी अथवा मात्र पी3 कही जाती है), का वास्तविक अर्थ आधारिक विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी पाने के लिए प्रयास करना है । यद्यपि, उत्कृष्ट सेवाएं देने के अतिरिक्त, आधारिक विकास का प्रबंध करने का दायित्व लोक अभिकरणों पर है । अब यह विशेष रूप से सभी विकासशील देशों, व्यापक रूप से विकास के एक नए प्रतिमान के रूप में किया जा रहा है।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी3)

संकल्पना : जहां सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण सार्वजनिक क्षेत्र की हस्तियों में मिल जाते हैं और उनके साथ जोखिम उठाने तथा साझा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक व्यापार संबंध में प्रवेश करते हैं, वे भी वैयक्तिक भागीदारों के उद्देश्य प्राप्त करते हैं ।

पी3 न तो कोई निजीकरण है, न ही बाह्य स्रोत, न ही कोई रामबाण है और निश्चित रूप से मुक्त धन (फ्री मनी) भी नहीं है।

सामान्य लाभ: पी3 के लाभ संक्षेप में निम्न प्रकार से हैं:-

1. प्रारम्भिक अल्प लागत
2. निधि लागत बचत तक पहुंच
3. वित्तपोषण/उत्तोलक शक्ति तक पहुंच
4. तीव्रतर सुपुर्दगी (गति एवं समय)
5. नकदी प्रवाह (राजस्व का आदान-प्रदान)
6. जोखिम अंतरण
7. नव कर राजस्व निर्माण
8. अभिनवकरण और विशेषीकरण (कार्य) कुशलता
9. क्षमता निर्माण (एफ/डी/बी/ओ एंड एम)
10. जनता और संघटकों में सद्भावना एवं विश्वास बढ़ाना
11. अनुभव एवं शिक्षित पाठ

सार्वजनिक-निजी भागीदारी क्यों ?

किसी भी नियोजन का अंतिम उद्देश्य जनसाधारण का समग्र कल्याण और प्रसन्नता है। इसमें समाज का सामान्य सामाजिक-आर्थिक विकास अंतर्निहित है। इसके लिए आधारिक विकास और सामुदायिक सुविधाओं में सुधार अनिवार्य है। व्यापक आधारिक विकास आवास, परिवहन, बिजली, दूर संचार, जलापूर्ति, सफाई, कचरा प्रबंधन, सिंचाई इत्यादि जैसे सभी क्षेत्रों में एक साथ सुधार की मांग करता है। विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारिक विकास का महत्व बढ़ जाता है। इन आधारिक सुविधाओं और सेवाओं का विकास अत्यधिक कठिन कार्य है और आधारिक संरचना बनाए रखने के लिए विकास एवं उन्नयन सभी नागरिक सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। केवल सरकार की बजटीय सहायता से ही आधारिक विकास की कुल ज़रूरत पूरी होने की आशा नहीं की जा सकती है। राकेश मोहन समिति के अनुमानों के अनुसार, 10 वर्षों की अवधि के लिए नए निवेश और परिचालन एवं अनुरक्षण की लागत शमिल करके, शहरी आधारिक विकास के लिए कुल आवश्यकता लगभग 250000 करोड़ रूपए है। इस प्रकार से, शहरी आधारिक विकास के लिए उपलब्ध केन्द्रीय सरकार की निधियां 5 वर्षीय अवधि के दौरान आवश्यकता से 10 गुणा से भी अधिक पड़ती हैं । अपेक्षित शहरी आधारिक संरचना और उसके प्रबंधन सहित वित्तपोषण करने के लिए जो आवश्यक है और नौवीं योजना अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बजटीय प्रावधान में से जो कुछ भी उचित रूप से काटा जा सकता है, के बीच संसाधानों का अंतर चौंकाने वाला है। भारत की संघीय राज्य व्यवस्था में, पश्चिमी बंगाल की सरकार सहित अन्य राज्य सरकारों के लिए तथ्य बराबर अच्छे हैं। भारत सरकार की ओर से प्रायोजित कोलकता महानगर का 1600 करोड़ रूपए का कार्यक्रम भारत सरकार से निधियों के अपर्याप्त प्रवाह के कारण धन की कमी का सामना कर रहा है । 1994-95 से क्रियान्वयनाधीन कोलकाता महानगर के कार्यक्रम को भारत सरकार से एक वर्ष में 50 करोड़ रूपए की आश्वस्त राशि के मुकाबले किसी भी वर्ष में 20 करोड़ रूपए से अधिक नहीं मिले हैं। कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई मास्टर यातायात एवं परिवहन योजना में लगभग 16000 करोड़ रूपए के निवेश की ज़रूरत का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान स्थिति में, निधियों की ज़रूरत पूरी करना राज्य सरकार के लिए अधिक संभव नहीं है । इसके साथ ही, कोई भी राज्य सरकार आधारिक विकास के अभाव के कारण आर्थिक विकास को छोड़ना पसंद नहीं करेगी । इसलिए, जो वास्तविकता उभर रही है, यह है कि एक ओर तो आर्थिक विकास की सुविधा के लिए आधारिक विकास हेतु संसाधन आवश्यक हैं तथा दूसरी ओर सरकारें आवश्यक बढ़ते संसाधन प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

इस प्रकार, भारत की आधारिक संरचना की रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि आधारिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी अन्यों के साथ-साथ ऐसे संसाधनों में एक होगी जो सरकार अपनाना चाहती है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी यथेष्ट एवं उत्तम आधारिक और नागरिक सेवाएं देने के लिए मिलकर कार्य कर सकती है। पश्चिमी बंगाल सरकार ने भी महसूस किया है कि अकेली सरकारी गतिविधियां पर्याप्त नहीं हो सकतीं, विशेष रूप से उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था के युग में और सरकार की कथित प्रतिबद्धता और नीतियों के अनुकूल आधारिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस की है और उसे संबद्ध करने की इच्छुक है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विकल्प

सेवा अनुबंध : विशिष्ट रूप से कम अवधि में विनिर्दिष्ट कठिन कार्य निष्पादित करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करना ।

प्रबंधन अनुबंध : परिचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र को अंतरित करना। विनिर्दिष्ट कार्यों को निष्पादित करने में तकनीकी क्षमता और कार्य कुशलता बढ़ाने में सहायक।

पट्टा : निजी क्षेत्र उपयोगिता की अस्तियां पट्टे पर देता है एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का दायित्व लेता है और उपयोगिता से सही आय अर्जित करता है।

रियायतें: यह निजी क्षेत्र के परिचालक को न केवल उपयोगिता की आस्तियों के परिचालन एवं अनुरक्षण का उत्तरदायित्व देना है, अपितु निवेश के लिए प्रोत्साहन भी । स्वामित्व सरकार के पास रहता है किन्तु अधिकारों का पूर्ण प्रयोग परिचालक में निहित होता है।

अधिकार हरण : किसी प्रबंधन के माध्यम से या तो आंशिक अथवा पूर्ण रूप में खरीदी आस्तियों अथवा शेयरों की बिक्री/रियायतों के विपरीत आस्तियों का स्वामित्व यहां निजी क्षेत्र के परिचालक को चला जाता है।

पश्चिमी बंगाल में सार्वजनिक-निजी भागीदारी

पश्चिमी बंगाल में निजी क्षेत्र की प्रारम्भिक भागीदारी : आधारिक विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी पश्चिमी बंगाल में कोई नई संकल्पना नहीं है। यद्यपि, बहुत से क्षेत्रों में किसी व्यापक पैमाने पर नहीं, अपितु यह बहुत लम्बे समय से चली आ रही है । उदाहरणार्थ, कलकत्ता विद्युत आपूर्ति निगम निजी क्षेत्र में देश की सबसे पुरानी विद्युत उपयोगिताओं में से एक है । राज्य में लगभग तीन-चौथाई जन-परिवहन निजी क्षेत्र की ओर से चलाया जाता है । राज्य सरकार मूलत: विनियामक भूमिका का निर्वाह करती है ।

पश्चिमी बंगाल में पी3 में नवीनतम पहल

बीओटी

- कलकत्ता लैदर कॉम्प्लैक्सस
- हुगली नदी पर द्वितीय विवेकानंद सेतु परियोजना
- विवेकानंद सड़क उपरिसेत (फ्लाईओवर) के निर्माण का प्रस्ताव

संयुक्त क्षेत्र के उद्यम : आवास एक मुख्य क्षेत्र है, जहां निजी क्षेत्र की अधिकतम भागीदारी निम्न प्रकार से है-

1. कोलकाता मैट्रोपॉलिटन ग्रुप (कोलकाता में हाइलैंड पार्क) ने केएमडीए के साथ संयुक्त रूप से 233 अपार्टमेंट्स का निर्माण पूरा कर लिया है।
2. बंगाल अंबुजा हाउसिंग डवलपमेंट लिमिटड, जो आवास बोर्ड के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की परियोजना है, ने राजपुर में 1569 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है। उदयन-दि काँडीविल्ले, नामक आवासीय योजना के तीन चरण बागाजतिन में पूरे हो चुके हैं ।
3. आवास बोर्ड के साथ संयुक्त क्षेत्र के अन्य उपक्रम: बंगाल पीयरलैस हाउसिंग डवलपमेंट कंपनी ने 1431 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है एवं बहुत से निर्माण कार्य चल रहे हैं जिनमें से 168 आवासीय इकाइयां शान्तिनिकेतन में हैं।
4. बंगाल श्राची हाउसिंग यूनिट ने राजरहाट के न्यू टाउन में 386 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ दिया है।
5. बंगाल पार्क चैम्बर्स हाउसिंग डवलपमेंट लिमिटेड एवं बंगाल शैल्टर हाउसिंग डवलपमेंट लिमिटेड, पश्चिम बंगाल आवास बोर्ड के साथ आवास क्षेत्र में कार्य करने के लिए संयुक्त क्षेत्र की दो और परियोजनाएं हैं।

इस प्रकार के बहुत से अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं:

- साल्ट लेक में चार्ल्स कोरिया द्वारा अभिकल्पित नगर केन्द्र केडीएमए और बंगाल अंबुजा की संयुक्त उद्यम परियोजना उल्लेखनीय है।
- उपनगरी, वाणिज्यिक परिसर एवं बर्धमान में ट्रक सेवांत टर्मिनल।
- केएमसी द्वारा कचरा प्रबंधन।

प्रबंधन एवं सेवा अनुबंध

- बड़ा नगर कमरहटटी जलशोधन संयंत्र
- जल निकास अपवहन केन्द्र

सार्वजनिक निजी भागीदार अनन्य स्वरूप

- जोका ग्राम पंचायत की जलापूर्ति योजना
- उपनगरी विकास एक अन्य युगान्तकारी घटना: सरकार विदेशी कंपनी की भगीदारी में पश्चिमी हावड़ा में एक बड़ी उपनगरीय परियोजना पर विचार कर रही है जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार की नीति

- आधारित विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ काम करने में सरकार का अनुभव बल्कि सीमित रहा है। आधारित विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी के व्यवहार के लिए, निजी क्षेत्र में संभावित निवेशकों के मन में यह विश्वास और निजी भागीदारों के चयन की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना अनिर्वाय है । इसे प्राप्त करने के लिए आधारित विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी अथवा दूसरे शब्दों में सार्वजनिक निजी क्षेत्र की भागीदारी पर व्यापक नीति का होना अत्यावश्यक है।
- विद्युत, दूर संचार, परिवहन जलमार्ग, बंदरगाह, विमानपत्तन जैसे आधारित क्षेत्रों और सड़कें/ सेतु/ सड़कों पर उपरिसेतु/ (फ्लाईआवर), इत्यादि जैसी भूतलीय सुविधाएं, जलापूर्ति, मलजल निकास और स्वच्छता, उपनगरीय क्षेत्र विकास, आवास एवं वाणिज्यिक विकास,

इत्यादि पर उचित रूप में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए विचार किया जा सकता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए परिचालनात्मक दिशा-निर्देशों के प्रमुख तत्व यथा निम्न होंगे:

- राज्य सरकार का कोई विभाग/अभिकरण आधारित संरचना का विकास प्रारम्भ करने के लिए निजी अथवा संयुक्त क्षेत्र की हस्तियों को आमंत्रित कर सकता है। राज्य सरकार को इस ढंग से और ऐसे नियमों एवं शर्तों, जिन्हें कि वह लोकहित में आवश्यक एवं कालोचित समझती है, पर नई आधारित सुविधाएं स्थापित करने में निजी निवेश की अनुज्ञा देने की शक्ति होगी।
- ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनमें निजी निवेशकों/विकासकों की भागीदारी प्राप्त की जा सकती है। निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने का एक साधन निर्माण, परिचालन और अंतरण करना (बीओटी) है, यद्यपि यहां बीओओ, बीओओटी, बीओएलटी इत्यादि बीओटी के रूप भेद हैं। कार्यक्षेत्र, बाध्यताएं और निजी विकासकों के भाग लेने के अधिकार बीओटी परियोजनाओं के लिए किसी कार्यढांचे के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी जहां आवश्यक है, वहां पट्टे पर देने में वार्षिक भुगतान के जरिए भी आकर्षित हो सकती है।
- निजी हस्तियां बहुत सी हो सकती हैं, जो आधारित विकास में भाग लेने के इच्छुक हैं। अत: उन फर्मों की क्षमता का आकलन भागीदारी बोलियों के माध्यम से करना आवश्यक है। केवल योग्यता प्राप्त निजी हस्तियों की आधारिक विकास में भागीदारी पर विचार करना चाहिए।
- यह अनिवार्य है कि निजी भागीदारों का चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। इस प्रकार से प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव के लिए पूर्व अर्हता प्राप्त फर्मों से तकनीकी और वित्तीय/वाणिज्यिक प्रस्ताव/ बोलियां आमंत्रित की जाएं। बोली देने के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए, विभाग अथवा किसी स्वतंत्र व्यावसायिक अभिकरण द्वारा तैयार की गई तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, जो वास्तविक रूप से लागत अनुमान तैयार करेगी और परियोजना प्रस्ताव से संबंधित वित्तीय अर्थक्षम कार्याभ्यास करेगी, का होना आवश्यक है। इसके बिना, निजी विकासकों के साथ रियायत करार पर हस्ताक्षर करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के अभिकरण वित्तीय पण (स्टेक) का विस्तार यथेष्ट रूप से अवधारित नहीं किया जा सकता है। परियोजनाओं के अनुमोदन एवं विकासकों के चयनार्थ यहां मानकीकृत एवं सरल तथा कारगर क्रियाविधि होनी चाहिए।
- आधारित विकास की परियोजनाएं सामान्य रूप से निजी निवेशकों के लिए आकर्षक नहीं होती हैं, जिसका कारण संभावित रूप से निवेश पर नगण्य प्राप्ति भी है। अत: निजी क्षेत्र की हस्तियों को कतिपय रियायतें देना अनिवार्य हो जाता है। रियायतों और आर्थिक सहायता, जो सरकार दे सकती है, के मानदंड और सहायता की किस्म बतानी पड़ेगी। रियायतों के प्रकार तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन किए जाने के बाद अवधारित किए जा सकेंगे। ऐसी रियायतों के प्रस्ताव का निमंत्रण निजी उपक्रमों में प्रतिस्पर्धा लाएगा और उस आधार पर चयन पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए जांच करने एवं संतुलन बनाए रखने की भी जरूरत है और यह रियायतों के करार में रखा जाता है।
- सचिवों की एक समिति होगी। इस समिति का अध्यक्ष पश्चिमी बंगाल सरकार का मुख्य सचिव होगा और उसमें पश्चिमी बंगाल सरकार के वित्त विभाग का सचिव और संबंधित विभागों के सचिव होंगे। यह समिति निजी भागीदार और उसकी सिफारिशों के चयन के लिए संबंधित विभाग/अभिकरण के प्रस्ताव का पुनरीक्षण करेगी। संबंधित विभाग का सचिव संयोजक के रूप में कार्य करेगा और प्रस्ताव को विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन सहित समिति के सामने रखेगा। समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के बाद पहलकर्ता विभाग/अभिकरण, इसे आगे अनुमोदनार्थ मुख्य मंत्री/मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित प्रभारी मंत्री के सामने रखेगा।
- प्रारम्भ की जाने वाली परियोजना की पहचान संबंधित विभाग/अभिकरण को करनी चाहिए। ऐसा विभाग/अभिकरण बोली दस्तावेज तैयार करेगा, रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करेगा, संभावित विकासकों का चयन करेगा और बोलियों के मूल्यांकन एवं निजी भागीदारी के चयन पर प्रस्ताव तैयार करने सहित बोलियों की औपचारिकताओं की सारी प्रक्रिया पूरी करेगा।
- किसी सार्वजनिक-निजी भागीदारी की परियोजना का प्रारम्भ करने वाले विभाग/अभिकरण को प्रत्येक वैयक्तिक परियोजना को क्रियान्वित करने से पहले उसके लिए समिति की सिफारिशें प्राप्त करनी होगी और मुख्य मंत्री/मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

उपसंहार

आधे से अधिक शताब्दी के अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि अकेली सरकार की पहल किसी देश के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से अभाव के कारण। उदारीकृत आर्थिक शासन के इस युग में और राज्य सरकार की सामाजिक प्रतिबद्धता के बावजूद, सामाजिक रूप से वांछनीय ढंग से विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए अकेली राज्य सरकार के लिए यह उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा है। अब योजनाओं और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र से भागीदारों को लाया जाए।

पी3 के अधीन जोखिम एवं प्रसुविधा परस्पर स्वीकार्य ढंग से विभाजित की जाती है। यह प्रत्याशित है कि निजी क्षेत्र के प्रबंधन में संसाधनों का उपयोग अधिक कठिन होगा और उससे सेवाएं प्रदान करने की लागत कम होने में सहायता मिलेगी। इसी के साथ, आधारित विकास में निजी भागीदारी, विशेष रूप से गरीबों का हित संकट में न पड़ जाए। प्रचलित प्रसंग के लिए उपयुक्त, भागीदारी करार में कतिपय नियमों एवं शर्तो पर कार्रवाई करने हेतु एक प्रवर्तन उपायतंत्र तैयार करना अनिवार्य है। समुचित स्तर पर इस विनियामक उपायतंत्र को विकसित करना पी3 के लिए किसी भी नीति हेतु महत्वपूर्ण है। यह आशा की जा सकती है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी आने वाले समय में लोगों की जरूरतें पूरी करेगी और राज्य के लिए समृद्धि लाएगी।

भारत का चहुमुखी विकास

रंजन कुमार,
प्रबन्धक

भारत का चहुमुखी विकास करने के लिए सरकार को कुछ ठोस रणनीति अपनानी होगी। देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए कटिबद्ध थे। अनेक योजनाएं आरंभ की गईं जिनमें से एक सूचना क्षेत्र में क्रान्ति लाना था जिसका परिणाम सर्वत्र देखा जा सकता है। सम्पूर्ण विश्व में भारत का सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमुख स्थान हैं। आज देश के गांवों में टेलीफोन, दूरदर्शन आदि सुगमता से उपलब्ध हैं। जिनके फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है और आर्थिक दृष्टि से भी सम्पन्न हुए हैं। किन्तु रोजगार के साधन उपलब्ध न हो पाने के कारण ग्रामीणों का शहरों की ओर तेजी से पलायन हो रहा है। शहरों की विकास योजनाओं आदि पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत में लगभग 260 मिलियन जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रही है।

राष्ट्रपति श्री ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने 12.11.2005 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा ''इंडिया विजन 2020 एंड ग्रोथ सेंटर्स फॉर मेकिंग इंडिया ए डेवलप्ड नेशन'' विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा ''यदि भारत का 2020 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करना है तो वर्ष 2006 तक उसे ''ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की व्यवस्था'' (Provision of Urban Amenities in Rural Areas - PURA) (पुरा) योजनाओं को लागू करना होगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे शहरों की ओर पयालन रुके। उन्होंने ''पुरा'' की अवधारणा एवं रणनीति को गांवों के आर्थिक विकास हेतु रेखांकित किया। ''पुरा'' की अवधारणा के अन्तर्गत गांवों को रिंग रोड से जोड़े जाने और पूरे रास्ते पर संचार, स्वास्थ्य एवं आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें शहरों के समान बनाने की योजना है।

भारतीय अर्थव्यस्था में तीव्र गति से विकास हो रहा है लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था में रूपान्तरण हेतु भारत को अभी लम्बा मार्ग तय करना है। भारत में विश्व की 16% आबादी है और संसाधन 2% हैं। अर्थव्यवस्था की यह बहुत बड़ी विसंगति है। दसवीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007 तक गरीबी अनुपात 26.1% से घटाकर 19.3% पर लाना निर्धारित किया गया है और ग्रामीण एवं शहरी गरीबी अनुपात के लक्ष्य क्रमशः 21.1% और 15.1% रखे गए हैं। आशा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान विकास की दर 7.5 से कम नहीं रहेगी। कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उद्योग जगत में बेहतर प्रदर्शन की संभावनाएं हैं जिसकी अगले वर्ष भी बने रहने की संभावना है।

विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में एकीकृत कार्रवाई को शामिल किया गया है:-

1) 2020 तक 360 मिलियन टन खाद्य एवं कृषि उत्पादन का लक्ष्य नियत करना, कृषि के अन्य क्षेत्रों में नवीन तकनीकों द्वारा ग्रामीणों के जीवन में सम्पन्नता लाना व आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करना,

2) सभी के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल करना,

3) समारिक क्षेत्रों का विकास जिनमें न्यूक्लीयर प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं सुरक्षा प्रौद्योगिकी में वृद्धि आदि प्रमुख हैं,

4) देशभर में बेहतर विद्युत व्यवस्था करना,

5) ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी का विस्तार करना ताकि शिक्षा का प्रसार हो एवं राष्ट्रीय सम्पदा सृजित हो सके।

''पुरा'' मॉडल

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना अर्थात ''पुरा'' में चार संयोजनों को शामिल किया गया है - भौतिक संयोजन, इलेक्ट्रॉनिक संयोजन, ज्ञान संयोजन और इनके माध्यम से आर्थिक संयोजन करना जिससे ग्रामीण समूहों की सम्पन्नता को बढ़ाया जा सके। भौतिक संयोजन के अन्तर्गत 15-25 गांवों को एक-दूसरे से सड़क द्वारा जोड़ा जाएगा। सड़कों से जुड़े गांवों में एक रिंग रोड होगी ताकि सभी उसका प्रयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त बिजली एवं परिवहन सुविधाएं भी शामिल की गई हैं।

इलेक्ट्रॉनिक संयोजन में गांवों को आधुनिक दूरसंचार एवं सूचना तकनीकी सेवाओं से जोड़ना है जैसे सार्वजनिक कॉल आफिस, साइबर कैफे आदि।

ज्ञान संयोजन में प्रत्येक 5-7 किमी की परिधि में एक स्कूल, एक उच्च शिक्षा केन्द्र, एक अस्पताल आदि को स्थापित किया जाएगा।

आर्थिक संयोजन का उद्देश्य 15-20 गांवों के समूह में उत्तम

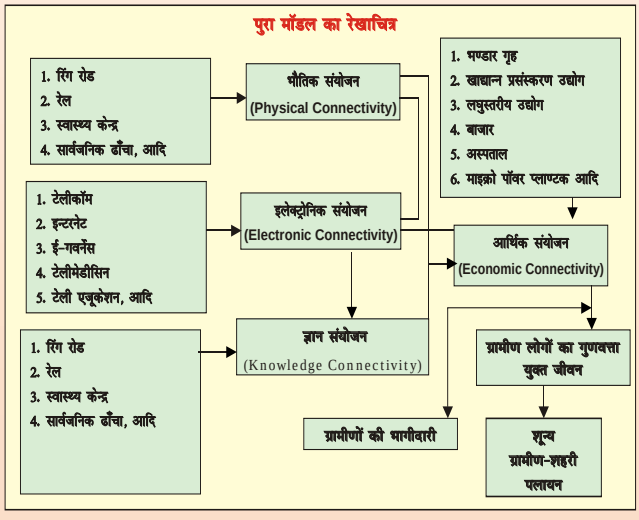

विपणन सुविधाएं स्थापित करना जिससे दिनचर्या की समस्त वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त हो सकें और ग्रामीण अपने उत्पादों का विक्रय कर सकें। पुरा मॉडल का रेखाचित्र पूर्व पृष्ठ पर है:-

सामूहिक विकासक परियाजनाओं के माध्यम से गांवों के विकास की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया गया है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार एवं हरित क्रान्ति ने ग्रामीण लोगों को एक अवसर प्रदान किया है ताकि इनके द्वारा राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सके। किन्तु इन प्रयासों के बावजूद भी गांवों और शहरी क्षेत्रों में अंतर बना हुआ है और ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हो रहा है।

1951 में 17.3% शहरी जनसंख्या थी जो 2001 में बढ़कर 27. 8% हो गई। 50 वर्षों में 360% की वृद्धि हुई जिसके कारण शहरों में भीड़भाड़ एवं गंदी बस्तियों की समस्या उत्पन्न हो गई। 2003 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री ए.बी.बाजपेयी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5000 ''पुरा'' योजनाओं को लांच करने की घोषणा की थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति निवेश लगभग 20,000 रु. निर्धारित किया गया था जिसमें लोक क्षेत्र का भाग लगभग 50% है। यह विजन 2020 परियोजना दर्शन है जिसे पंच वर्षीय योजनाओं में फैलाने की आवश्यकता है और प्रत्येक विकास समूह में निवेश 100 करोड़ रुपए है। लेकिन प्रत्येक समूह के लिए 100 करोड़ रु. में से 3 करोड़ का ही प्रावधान किया गया जो एक मामूली धनराशि है। इस प्रकार की शुरूआत प्रस्ताव को मृत करने के समान है। वास्तव में प्रस्ताव पर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है।

सरकार की ओर से ''पुरा'' के संबंध में कार्रवाई

सरकार ने शहरी-ग्रामीण अंतराल को दूर करने के लिए बजटीय सहायता को सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया है। पिछड़े राज्यों में स्थित 4000 से अधिक गांवों के समूहों के विकास पर विचार किया है और प्रत्येक को 2 करोड़ रु. की धनराशि प्रदान करने का निश्चय किया गया है। सरकार ने कुल 7000 ग्रामीण विकास समूहों में से 4000 समूहों को ही फिलहाल शामिल करने की घोषणा की है और इस प्रकार पिछड़े क्षेत्रों में लगभग 57% ग्रामीण जनसंख्या में अपनी पहुंच स्थापित करने का प्रयास किया गया है। इतनी थोड़ी धनराशि से ''पुरा'' के उद्देश्य को प्राप्त करना संभव नहीं है।

बाधाएं

बड़ी बाधाएं मांग पक्ष की ओर से उत्पन्न होंगी। इन्हें दूर करने के लिए ऐसी क्रियाओं में निवेश करना होगा जिससे मज़दूरी रोजगार सृजित हो सके और ग्रामीण जनसंख्या की व्यापक मांग में योगदान मिल सके। पिछड़े राज्यों के अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरी हरित क्रान्ति के रूप में उत्प्रेरक हो तो राष्ट्रपति के विजन 2020 की दृष्टि से 400 मिलियन टन खाद्य उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और तब यह संभव हो सकेगा कि बिना जनसंख्या हस्तांतरण के ग्रामीण भारत के विकास के सपने को पूरा किया जा सकेगा। यद्यपि पुरा मॉडल की प्रेरणा गांधीवादी मॉडल से ली गई जो ग्रामीण विकास पर बल देता है। यह एक नव गांधी विचार है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने का साधन है। विभिन्न विकास क्रियाओं में ग्रामीण मानव शक्ति का उपयोग करके रोजगार में वृद्धि करना इस मॉडल का उद्देश्य है।

सिफारिशें एवं निष्कर्ष

इस मॉडल का उद्देश्य जनसंख्या हस्तांतरण किए बिना ही आर्थिक विकास को प्रेरित करना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की 285 मिलियन आबादी को शहरी सुविधाएं उन्हीं के गांवों में प्राप्त हो सकें। यह महत्वाकांक्षी योजना यदि सफल होती है तो रोजगार संभावनाओं में वृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर हो रहे पलायन पर काबू पाया जा सकेगा। पिछड़े प्रदेशों के विकास को सफल बनाने की दिशा में यह पहला कदम होगा।

ग्रामीण विकास हेतु कार्यक्रम तैयार करने में लगे कार्यक्रम निर्माताओं को कार्यक्रमों पर पुन: ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बिजली, पानी एवं सड़कों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके। आधारिक व्यय करने के बाद निजी क्षेत्र निवेश को आकर्षित हो सकेगा। यह उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र केवल उन क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में निवेश करता है जिनसे उच्च प्रत्याय दर प्राप्त हो सके। अत: सरकार को इस ओर पहल करनी चाहिए।

योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च निकाय के गठन की आवश्यकता है ताकि ''पुरा'' का कार्यान्वयन हो सके। राज्यों में एक राज्य स्तरीय ''पुरा'' निगम होना चाहिए जिसमें लघु स्तरीय उद्योग, वित्तीय संस्थान, सरकारी समितियों, तकनीकी व्यक्ति एवं पंचायत आदि के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए जो राज्य के ग्रामीण विकास का ढांचा तैयार कर सके। भारत में 6 लाख गांव हैं, इनके लगभग 50000 ''पुरा'' समूह बनेंगे। देश की सामाजिक व आर्थिक प्रगति हेतु 2020 तक देश को विकसित समाज के रूप में संवारने हेतु पुरा पर सर्वाधिक प्रभावी एवं रचनात्मक तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। देश की 92% श्रम शक्ति असंगठित क्षेत्र में रोजगार करती है। 'पुरा' एक ऐसा विचार है जिसमें अनेक समस्याओं के समाधान निहित हैं जिनसे ग्रामीण भारत ग्रसित है। पुरा के तहत असंगठित क्षेत्र के लिए बड़ी परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है जिनका मुख्य उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों में उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि करना एवं नवीन समूहों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना है। इंडो-जर्मन-चैम्बर-आफ-कामर्स की एक संगोष्ठी में डीयूश बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नोरवर्ट वाल्टर ने कहा है कि ''2020 तक भारत अमरीका एवं चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था होगी। भारत की विकास दर बढ़ेगी और क्रय शक्ति 2020 तक दोगुनी दर होकर लगभग 5000 डालर प्रति व्यक्ति हो जाएगी।''

गतिशील भाषा-संसार

राकेश कुमार,
सहायक निदेशक
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

कहते हैं कि कोई भी अविष्कार अपने साथ एक पूरा भाषा संसार लेकर आता है। जब भी कोई नया अविष्कार होता है तो उसके प्रयोग-अनुप्रयोग, रख-रखाव, विस्तारण तथा स्थायित्व के लिए कुछ संकेतों, निर्देशों तथा कोड आदि की नितान्त आवश्यकता होती है। जब से कंप्यूटर आया है, एक नई भाषा सामने आई है। इस भाषा को सुनते ही सहजता से पता चल जाता है कि हम कंप्यूटर से संबंधित कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रारम्भ में कंप्यूटर की स्थापना केवल एक गणना मशीन के रुप में की गई थी तथा बाद में मौसम संबंधी भविष्यवाणी आदि के लिए इसका उपयोग होने लगा। वर्तमान स्वरुप में कंप्यूटर अपने पुरातन स्वरुप से एकदम भिन्न है। इंटरनेट के आने से तो कंप्यूटर का समूचा अर्थ ही बदल गया है। इन्टरनेट के माध्यम् से व्यक्ति पूरी दुनिया से जुड़ जाता है, अर्थात् एक छोटे से कंप्यूटर में पूरा विश्व समाया हुआ है।

आइए, अब बात करते हैं कंप्यूटर और इंटरनेट भाषा संसार की। कंप्यूटर आने के साथ ही कंप्यूटर के लिए ''कंप्यूटर टेबल'' शब्द आया। कंप्यूटर चलाने के लिए ''माऊस'' यानि चूहा आया। चूंकि यह मामूली चूहा न होकर ''कंप्यूटर माऊस'' था जो केवल विशेष धरातल पर ही चल सकता था, अत: इसके लिए ''माऊस पैड'' शब्द अस्तित्व में आया। इसके साथ ही कंप्यूटर वायरस अस्तित्व में आया। इसके अलावा, डैस्क टॉप, मॉनीटर, सी.पी.यू., फ्लोपी, सी.डी. प्रिंटर, स्कैनर, एंटीरेडियेशन स्क्रीन आदि बहुत से शब्द आ गए। समय बीतने पर कंप्यूटर का आकार भी अब छोटा हो गया है। पहले, कमरे जितने बडे आकार का कंप्यूटर, अब टी.वी. के आकार के कंप्यूटर से होता हुआ ''लैपटॉप'' तथा ''पामटॉप'' तक आ गया है। परिणामत: दो नए शब्द ''लैपटॉप'' तथा ''पामटॉप'' अस्तित्व में आए।

ये तो थी हार्डवेयर की भाषा, अब बात करते हैं साफ्टवेयर की भाषा की, जिसमें तुलनात्मक रूप से अनेक नए शब्द बहुतायत से आए हैं। यथा- डाउनलोड, प्रोग्रामिंग, लोड, एक्सेस, इन्स्टॉल, सेव, कट एंड पेस्ट, की-बोर्ड, फाइल, सर्च इत्यादि। कंप्यूटर पर इंटरनेट आते ही ई-मेल, ई-वॉयस साइबर, साइबर कैफे, सर्फिंग, वेबसाइट, वेब-वर्ड, ई-कार्ड, मेल-मर्ज, मेलिंग-एड्रेस, सर्च इंजिन मेल बॉक्स, इन-बॉक्स, टेक्स्ट, साइन-इन, सरवर, लॉग-आउट, फोंट, क्लिक, रिफ्रेश, रिसाईकलबिन, विंडो, फोल्डर इत्यादि। यद्यपि इनमें से अधिकांश शब्द किसी न किसी रुप में हमारे यहां प्रचलन में थे। परन्तु कंप्यूटर के आने के पश्चात ये शब्द कंप्यूटर शब्दावली में शामिल होकर एक विशिष्ट अर्थ देने लगे।

कंप्यूटर तथा इंटरनेट के उपयोग के साथ साथ इसके दुरुपयोग के उदाहरण भी सामने आए। अत: एक नया शब्द संसार पुन: अस्तित्व में आया। ''साइबर-क्राइम'', जिससे निपटने के लिए ''साइबर पुलिस'' और ''साईबर पुलिस स्टेशन'' जैसे शब्द भी सामने आए। साइबर क्राइम में, ''वेबसाइट हेकर'' (Hacker) एक प्रमुख क्राइम के रुप में सामने आया, जिसमें किसी की भी वेबसाईट में जाकर सूचना और आंकड़ों से छेड़छाड़ की जा सकती है। ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए ''साइबर कोर्ट'' शब्द अस्तित्व में आया और अब सरकार ऐसे कानून बनाने पर भी गंभीरता से विचार कर रही है ताकि इस तरह के अपराधों पर लगाम कसी जा सके। सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया गया। समय की मांग, बढ़ते साइबर अपराधों और नई-नई आवश्यकताओं को देखते हुए अब सरकार इसमें कुछ आवश्यक संशोधन करने जा रही है।

मोबाइल फोन के आगमन ने भी एक नए भाषा संसार को जन्म दिया है; जैसे- एस.एम.एस, एम.एम.एस, रोमिंग नेटवर्क एरिया, रिंगटोन, सेलफोन, की-पैड, हैंड-फ्री आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में नए अनुसंधान और नई-नई परीक्षण मशीनों के आने से भी हमारी शब्दावली में अनेक नए शब्द आए हैं। अल्ट्रासाउंड, सी.टी.स्कैन, एंजियोग्राफी, एम.आर.आई, आदि। इसके अतिरिक्त फैशन, सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खान-पान आदि के क्षेत्र में भी कहीं न कहीं नए शब्दों का आगमन हुआ है। कुछ शब्द हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्रकार आकर घुल मिल जाते है कि हमें सहजता से पता नहीं चल पाता।

समय के साथ-साथ भाषा के रूप-स्वरूप में भी परिवर्तन आता है। नए-नए शब्द अस्तित्व में आते हैं। कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है तो कुछ शब्द विलुप्त हो जाते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग अधिक नहीं होता वे कालांतर में मृत हो जाते हैं। बोझ से ''बोझिल'' शब्द का प्रयोग बहुत पुराना हो चुका है लेकिन अब चोट से ''चोटिल'' शब्द का प्रयोग भी चल पड़ा है। इसी तरह, लात से 'लतियाना'', जूते से ''जुतियाना'', धक्के से ''धकियाना'' तथा लाठी से ''लठियाना'' शब्दों का प्रयोग अब आम प्रचलन में आ गया है।

हिन्दी के साथ-साथ हमने अंग्रेजी शब्दों में भी अपने देश और यहां की आवश्कताओं के अनुसार व्यापक परिवर्तन स्वत: ही कर लिए है। चाहे यह कितना ही हास्यास्पद लगे लेकिन अंग्रेजी के कन्फ्यूजन शब्द से कन्फ्यूजियाना, नर्वस शब्द से नरवसाना जैसे शाब्दिक प्रयोग अब आम हो गए हैं। पानी की चाह से ''प्यास''' शब्द का प्रयोग हो रहा है, आजकल मजाक में चाय की तलब के लिए ''च्यास'' शब्द का प्रयोग भी हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब ''च्यास'' शब्द का प्रयोग गंभीरतापूर्वक, व्यापक रुप से किया जाने लगेगा।

मीडिया और विज्ञापन ने वर्तमान में एक नई भाषा को जन्म दिया है और वह है हिन्दी और अंग्रेजी का बेमेल-मेल। विज्ञापन की भाषा में उसके रूप-स्वरूप, व्याकरण तथा वाक्य विन्यास की ओर भी ध्यान देने की जरुरत नहीं समझी जाती। एक बानगी देखिए- ''ये दिल मांगे मोर'', ''अब मेडिकर, संडे के संडे'', ''स्क्रेच कीजिए, प्राइस लीजिए'' ''आपकी च्वॉइस, इंडिया की वॉयस'', ''यही है राइट च्वॉइस बेबी'' आदि। इस तरह की भाषा हमारे समाज में एक जगह बना चुकी है।

इंग्लिश, हिन्दी और हिंगलिश से होते हुए, भाषा ने अब विज्ञापनी भाषा का रूप धारण कर लिया है। विज्ञापनी भाषा, भाषा नियमों और व्याकरण के कठोर बंधन को सरल करके चलने में विश्वास रखती है। विज्ञापनी भाषा का मूल-मंत्र है- लुभावनी और लच्छेदार भाषा का प्रयोग जो सर्वसाधारण को लुभा सके तथा उपभोक्तावाद और बाजारवाद के इस वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को अपना माल बेचने में मदद कर सके। इसी लुभावनी भाषा ने भाषा को काव्यात्मक रूप भी प्रदान किया है। एक बानगी देखिए- ये प्यास है बड़ी, ओनिडा-पड़ोसियों की जले-जान, मालिक की बढ़े शान, 'आज तक'-सबको खबर दे, सबकी खबर ले, माणिकचंद-ऊँचे लोग, ऊँची पसन्द, 365 ब्लेड-साफ मुलायम दाड़ी और बचत भी भारी, जीवन बीमा-ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, बजाज बल्ब-आपकी दुनिया रोशन कर दे, रिलायंस- कर लो दुनिया मुट्ठी में, एनफील्ड बुलेट-गजब की सवारी, इंडिया टुडे-देश की भाषा में, देश की धड़कन आदि। ज़ाहिर है, इस तरह की जुमलेदार भाषा में जब किसी वस्तु का विज्ञापन आता है तो उपभोक्ता के साथ-साथ बच्चों को भी याद हो जाता है, जिसका परिणाम होता है वस्तुविशेष के बाजार में ग्राहकों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि।

हिन्दी ही नहीं अंग्रेजी में भी इस जुमलेदार भाषा के प्रयोग की कमी नहीं है। जैसे:- टायर दैट नेवर टायर्स, सीएट- बोर्न टफ, पी.एन.बी.- द नेम यू केन बैंक अपोन, मारुति आल्टो-लेट्स गो, नोकिया-कनेक्टिंग पीपल, आदि। इस तरह के अंग्रेजी जुमले, अंग्रेजी न जानने वाले लोगों को भी याद रहते हैं।

वर्तमान भाषा प्रयोग को देखते हुए, भाषा के संबंध में प्राचीन परिभाषा शत प्रतिशत सही प्रतीत होती हैं कि भाषा संप्रेषण का माध्यम मात्र है, अर्थात् जिस भाषा शैली और शाब्दिक प्रतीकों के माध्यम से आप सामने वाले व्यक्ति को प्रभावपूर्ण ढ़ंग से अपनी बात समझा सकें, वही उपयुक्त भाषा है। भाषा परिवर्तनशील होती है, नए शब्दों को ग्रहण करना और पुराने शब्दों को अप्रचलित होने पर उनका परित्याग करना जीवंत भाषा प्रवृत्ति है। इसलिए हमें भाषा को उसके सहज रूप में स्वीकार करना ही होगा।

अपने बैंक नोटों को जानिए

भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त और नई सुरक्षा विशेषताओं वाले बैंक नोट जारी किये हैं। ये बैंक नोट 50 रूपये, 100 रूपये और 1000 रूपये मूल्य वर्ग के हैं।

सुरक्षा विशेषताएं

अग्र भाग

आर-पार मिलान (सी-थ्रू रजिस्टर) :

जलचिन्ह खिड़की के बगल में खड़ी पट्टी के बीच में आगे (खोखला) और पीछे (भरा हुआ) मुद्रित फूलों की डिज़ाईन के अंदर मूल्यवर्गीय अंक होगा। इस अंक का आधा हिस्सा आगे की ओर, और आधा पीछे की ओर मुद्रित है। दोनों मुद्रित हिस्से आगे-पीछे इतने सटीक छपे है कि रोशनी के सामने देखने पर ऐसा लगता है कि ये एक ही हैं।

पहचान चिन्ह: प्रत्येक नोट में इटैग्लियो प्रिंट में एक अलग चिन्ह है जो दृष्टिहीनों को नोट का मूल्य वर्ग पहचानने में सहायता करता है ।

जलचिन्ह (वॉटरमार्क): महात्मा गांधी का चित्र, बहुदिशात्मक रेखाएं और मूल्यवर्गीय अंक दर्शाने वाला इलेक्ट्रोलाइट चिन्ह इस खण्ड में दिखाई देता है। रोशनी के सामने बैंक नोट को रखकर इसे अच्छी तरह देखा जा सकता है।

पृष्ठभाग

मुद्रण वर्ष: मुद्रण का वर्ष बैंक नोट के पीछे की ओर निचले भाग पर मध्य में रहेगा।

अन्य सुरक्षा विशेषताएं

प्रकाश परावर्तन (फ्लोरोसेंस): बैंक नोटों के नबंर पैनल फ्लारोसेंट स्याही से मुद्रित किए गए हैं। बैंक नोटों में प्रकाश परावर्तक रेशे डाले गए है। परा बैगनी प्रकाश में बैंक नोट को रखने पर ये दोनों विशेषताएं दिखाई देती हैं।

कागज: बैंक नोट रूई और सूती चिंदी वाले तत्व से बने विशेष जलचिन्ह वाले पेपर पर मुद्रित किए गए हैं। यह बैंक नोट को एकदम अलग 'स्पर्श' और कड़कड़ाट की आवाज देता है। नई श्रृंखला के बैंक नोटों के कागज का ग्रामेज् अर्थात वजन और कैलिपर मोटाई बढ़ाई गई है।

ओमरान एण्टी फोटोकॉपिंग फीचर : इस विशेषता वाले बैंक नोट की कलर फोटोकॉपियर पर कॉपी करने से कॉपी का रंग बदल जाता है। यह विशेषत: ''भारतीय रिज़र्व बैंक'' और "Reserve Bank of India" लेजंड के दोनों और पीछे की ओर दाहिने हाशिए में छोटे-छोटे पीले छल्लों के रूप में दिखायी देती है।

उभार मुद्रण (इंटैग्लियो प्रिंटिग) : महात्मा गांधी का चित्र, रिज़र्व बैंक की मुहर, गारंटी और वचन-खंड, बायीं ओर अशोक स्तंभ का प्रतीक चिन्ह, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर और दृष्टिहीनों के लिए पहचान चिन्ह इंटैग्लियो में, अर्थात् उभरे हुए मुद्रित हैं जिन्हें छूकर महसूस किया जा सकता है।

गुप्त चित्र : एक खड़ी पट्टी में एक गुप्त चित्र है जो बैंक नोट का मूल्यवर्गीय अंक दर्शाता है। बैंक नोट को आंख की सीध में समानांतर रखने पर ही यह छुपा हुआ चित्र दिखायी देता है।

सूक्ष्म लेखन (माइक्रो लेटरिंग): महात्मा गांधी के चित्र और खड़ी पट्टी के बीच के भाग में सूक्ष्म अक्षरों में अंकित 'RBI' और बैंक नोट का मूल्यवर्ग अंक मैगनीफाइंग ग्लास की सहायता से देखा जा सकता है।

सुरक्षा धागा : भारत और 'RBI' अंकित किया हुआ सुरक्षा धागा सभी बैंक नोटों में दिया गया है। रोशनी के सामने नोट रखने पर यह सुरक्षा धागा पीछे से एक सतत रेखा के रूप में दिखायी देता है।

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फर्मेशन रिव्यू से साभार

नारी का उद्‌बोधन

एस.डी. शर्मा
लेखाधिकारी
(सेवानिवृत्त)

अर्धरात्रि के समय जब राजकुमार सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और नन्हें पुत्र को सोते हुए छोड़ गृह त्याग किया था, अगले दिन प्रातः उनकी पत्नी यशोधरा ने अपनी सखि से विस्मय से कहा था :

सखि! वे मुझसे कहकर जाते,
कह तो क्या वे मुझको अपनी
पथ-बाधा ही पाते!

कुछ समय पश्चात् यशोधरा स्वयं की स्थिति पर नियंत्रण करती हुई एवं मानसिक दशा को संतुलित करती हुई बोली :

अब कठोर हो वज्रादपि,
ओ कुसुमादपि सुकुमारी,
आर्य-पुत्र दे चुके परीक्षा
अब है मेरी बारी!

अर्थात् यशोधरा स्वयं से कहती है कि फूलों से भी कोमल राजकुमारी, अब तू वज्र से भी अधिक कठोर बन। आर्य-पुत्र यानि पति देव तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं अब तुम्हारी बारी है। अतः तुझे धैर्यपूर्ण संयमी जीवन बिताना होगा और बिताया भी। कई वर्षों की तपस्या के बाद वही पति देव जब गौतम बुद्ध बनकर द्वार पर भिक्षा के लिए आए और 'माई भिक्षा दे' कहकर भिक्षा मांगी, तब उस धैर्यवान आदर्श नारी ने सहर्ष भिक्षा दी और नारी जाति के आगाध साहस का परिचय दिया।

एक दूसरा उदाहरण जो इतिहास में देखने को मिलता है जब मर्यादा पुरूषोत्तम राम पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास को गए, साथ में उनकी पत्नी जानकी और अनुज लक्ष्मण भी गये। तब लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने पति से 14 वर्षों का वियोग कितने धैर्य से बिताया, इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। राष्ट्र-कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला का आदर्श चरित्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रसिद्ध महाकाव्य 'साकेत' में इस प्रकार वर्णित किया है:-

निकली अभागिनी मैं ऐसी,
त्रैलोक्य में न होगी जैसी
दे सकी न साथ नाथ का भी
ले सकी न हाय। हाथ का भी
यदि स्वामी संगिनी रह न सकी,
तो क्यों इतना भी कह न सकी
'हे नाथ, साथ दो भ्राता का
बल रहे मुझे उस त्राता का
है त्राण आज भी इष्ट मुझे
ये प्राण आज भी इष्ट मुझे
रह कर वियोग से अस्थिर भी
देखूं मैं तुम्हें यहां फिर भी
है प्रेम स्वयं कर्त्तव्य बड़ा
जो खींच रहा है तुम्हे खड़ा।

इसके अतिरिक्त जब हम वैदिक युग की ओर दृष्टिपात करते हैं, जब ब्राह्मण-समाज का धार्मिक क्षेत्र में आधिपत्य था और महिला वर्ग को हीन दृष्टि से देखा जाता था। तब नारी जाति की प्रतिनिधि महर्षि याज्ञवलक्य की पत्नी गार्गी वाचकनवी ने हिन्दु पुरूष समाज को धार्मिक क्षेत्र में चुनौती दी। इससे पूर्व नारी जाति का जो शोषण 'वैदिक-दासी के रूप में होता था, उसका अंत किया। गार्गी ने महिला दार्शनिक विदुषी के रूप में उभर कर, प्रसिद्ध पुरूष दार्शनिकों को सफलता पुर्वक चुनौती देकर, शास्त्रार्थ करके प्रसिद्धि प्राप्त की। इस चुनौती की युरोपीय एंव भारतीय धार्मिक विद्वानों ने, समाज सुधारकों ने समीक्षा की है। प्रसिद्ध युरोपीय विद्वान 'सासेनेरिल परसोद' ने गार्गी को पत्र लिखकर Early Feminist Teacher प्रथम 'महिला अध्यापक' Men learn from women अर्थात् 'पुरूष महिला से सीखता है' आदि-आदि संज्ञाओं से उनकी प्रशंसा की थी। साथ ही यह भी कहा कि गार्गी का रोल एक महिला के रूप में उपनिषदों के क्षेत्र में अपवाद है। इस विदुषी महिला ने ब्राह्मण समाज को ही नहीं, अपितु अपने पति देव ऋषि याज्ञवलक्य को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उनसे दो प्रश्न पूछे : प्रथम - आकाश के ऊपर और पृथ्वी के नीचे क्या है, और जो आकाश और पृथ्वी के बीच में भी है।

उपरोक्त प्रश्न का उत्तर सहजभाव से याज्ञवलक्य ऋषि देते हैं 'अंतरिक्ष'

दूसरा प्रश्न गार्गी करती है 'इस अंतरिक्ष में ताना-बाना और बुना हुआ क्या है'। ऋषि याज्ञवलक्य उत्तर देते हैं: 'अविनाशी'।

ताना (बुनाई में धागों की लम्बाई) शब्द से गार्गी का अभिप्राय वस्त्रों से लपेटना और एक बंधित क्षेत्र उत्पन्न करना, बाना (बुनाई में धागों की चौड़ाई) से तात्पर्य ध्वनि का आच्छादित प्रभाव और बुना हुआ से तात्पर्य वस्त्रों एवं घरेलू उपकरणों से सुसज्जित अर्थात प्रकृति का सृजित रूप देखने को मिलता है।

तत्पश्चात् गार्गी तीसरा प्रश्न याज्ञवलक्य ऋषि से करती है 'अविनाशी की सृष्टि पर क्या आच्छादित है'? तब पराजित की सी स्थिती में याज्ञवलक्य सहमें हुए कहते हैं - अब और प्रश्न मत पूछो- क्योंकि तुम जिज्ञासु बन सकती हो- अब तुम ऐसे देवता के बारे में प्रश्न कर रही हो जो केवल तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। पति गार्गी की तार्किक बुद्धि और उपनिषदों के अगाध पांडत्य के सम्मुख न टिक सके और ब्राह्मण समाज के थोथे उपदेश भी जीर्ण-षीर्ण होते दिखाई दिये जहां स्त्रियों को हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसी परम्परा में गार्गी के अतिरिक्त याज्ञवलक्य ऋषि की दूसरी पत्नी मैत्रेयी, मंडन मिश्र की पत्नी भारती और महाकवि कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा जैसी महिलाओं जो अपने पतियों से बढ़-चढ़ कर विद्वान थी, उनका नाम धार्मिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। इतिहास साक्षी है कि मंडन मिश्र की भारती ने आदि जगत गुरू शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में पराजित किया था और नारी जाति का नाम गौरवान्वित एंव सुशोभित किया था।

उपरोक्त नारी जाति के आदर्श चरित्रों से स्पष्ट है कि नारी शिक्षा, विद्वता के क्षेत्र में कभी भी पुरुष से पीछे नहीं रही, अपितु सदैव समाज एवं राष्ट्र का नाम उज्ज्वलित करते हुए विद्या की देवी सरस्वती का प्रतीक बनकर भारत-माता का मस्तक ऊंचा किया है।

ट्यूशन

निवेदिता पांडे,
पत्नी राहुल कुमार पांडे, उप महाप्रबंधक

व्यये कृते वर्धत एव नित्यम्।
विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्।।

(जितना बांटा जाय उतनी ही विद्या में बढ़ोत्तरी होती है, इसलिए इसको सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है)

प्राचीन काल में भारतीय मनीषियों ने एक संस्कृत एवं आदर्श समाज की परिकल्पना करते हुए ही उपर्युक्त सूक्त रचा था, तब भारत के ज्ञान एवं सभ्यता की तूती संपूर्ण विश्व में बोलती थी, क्यों न बोले उस समय ऋषि -ऋण से उऋण होने के लिए प्रत्येक स्नातक का धर्म था कि गुरू द्वारा प्राप्त ज्ञान से समाज का हित करे तथा अपने समान कई स्नातक बनाये। अर्थात् नि:स्वार्थ भाव से समाज के अन्धकार को दूर करे। संक्षेप में यदि कहा जाय तो प्राचीन काल मे विद्या का अर्जन स्वार्थ सिद्धि के लिए न होकर परोपकार के लिए ही था।

आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा के मूलभूत सिद्धांतों में आमूलचूल परिवर्तन आ गया है, नि:शुल्क विद्यादान का हमारे समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आजकल तो शिक्षा का पूर्णत: व्यवसायीकरण हो चुका है। यदि बाजार में मंदी है या बिजनेस में घाटा है तो खोल लीजिए एक कोचिंग सेंटर, चांदी ही चांदी है । यह तो ऐसा धंधा है 'हिंग लगे न फिटकरी रंग चोखा का चोखा'।

आज तो हाल यह है कि गुरू एवं शिष्य परम्परा का पूर्णत: लोप हो चुका है। न तो पहले जैसे समर्पित गुरू रहे और न ही एकलव्य जैसे शिष्य। गुरू एवं शिष्य के बीच केवल एक ही संबंध अत्यंत सुदृढ़ है-'ट्यूशन'। भारत के किसी भी कोने में चले जाइये यह ट्यूशन परम्परा सर्वत्र विद्यमान है। ट्यूशन का श्री-गणेश तो अक्षरारंभ के पूर्व ही हो जाता है और कैरियर ओरियन्टेड कोर्स तक चलता ही रहता है। उदाहरणार्थ यदि आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिला लेना है तो-ट्यूशन। इंजीनियर, डॉक्टर या एम.बी.ए. करना है तो-ट्यूशन। यहां तक कि विदेशों में जाकर विदेशी डिग्रियां प्राप्त करनी हो तो भी इन सबके लिए भारत में ट्यूशन की दुकानें खुली हैं। इतना ही नहीं बच्चा पढ़ाई में यदि जरा सा भी कमजोर है तो टीचर तुरन्त आपको बुलाकर हितोपदेश देते हैं कि आपके बच्चे कि लिए श्रेयकर है कि उसे ट्यूशन दिलवाया जाये। अब यह आपकी समझदारी एवं व्यवहारिकता पर निर्भर करता है कि आपने इशारा कितना सही समझा क्योंकि उसी पर निर्भर करता है उसका वार्षिक परिणाम।

इस विषय पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करना सूर्य को दीप दिखाने के समान ही है क्योंकि आजकल समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में समाचार कम तथा ट्यूशनों के विज्ञापन अधिक दिखाई देते हैं। महानगरों में तो ट्यूशन महामारी बन चुका है, हर गली नुक्कड़ में कोचिंग सेन्टर खुले हैं। बैंकों की ब्याज दरों के समान इनके पास भी कई लुभावनी स्कीमें हैं, इन्हें भी तो अपने ज्ञान एवं विद्वता की मार्केटिंग करनी पड़ती है, तभी तो विद्या का विनिमय संभव हो पाता है।

ख्यातिप्राप्त ट्यूशन सेंटरों की कमाई का ढ़ंग भी पूर्णत: प्रोफेशनल हो चुका है। अब ये महामारी फीस न लेकर पैकेज़ की बात करते हैं। यदि एक साल का पैकेज़ 30 हजार रुपयों का है तो दो साल का 50 हजार। सीधे-सीधे 10 हजार की छूट। आप ही बताइये जहां हम 10-20 रुपयों के लिए मोलभाव करते हैं तो 10 हजार की छूट में तो भागेंगे ही और इस तरह एक साथ ही कई सारे मुर्गे फांस लिए जाते हैं, तो यह थी दो साल के ट्यूशन के लिए 'द बेस्ट डील'। इतना ही नहीं ऑफ सीजन डिस्काउन्ट भी यहां मिलता है। चौंकिए मत। माना कि पढ़ाई में तो कोई ऑफ सीजन नहीं होता क्योंकि विद्यार्थी का लक्ष्य तो विद्या अर्जन है जो कभी भी समाप्त नहीं होता फिर यह ऑफ सीजन कैसा? वस्तुत: तथ्य यह है कि दो साल वाला पैकेज़ लेने के पश्चात् यदि दुर्भाग्यवश विद्यार्थी असफल होता है तो उसे दुखी या दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पुन: वही कोचिंग 50 प्रतिशत छूट पर प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार शिक्षा के इस यज्ञ में उसे पुन: अर्थ की अहुति तो डालनी ही पड़ेगी।

आश्चर्य तो इस बात का है कि परीक्षार्थी की असफलता के लिए कोई भी कोचिंग सेन्टर अपने को जिम्मेदार नहीं ठहराता जबकि इसके विपरीत उसकी सफलता का श्रेय तो ढोल पीटकर स्वयं ही लेते हैं इस प्रकार सफलता के आंकड़ों के गणित से आकर्षित होकर हर साल ट्यूशन जाने वाली भीड़ दुगुनी होती जाती है।

आज का भौतिकवादी अध्यापक अपनी इस बिजनेस में शिक्षा से होने वाली इन्कम तथा इस पर लगने वाले टैक्स में ही इतना उलझा हुआ रहता है कि उसके पास विद्यार्थी या समाज के हित में सोचने का समय ही कहां है। इसलिए दया आती है मुझे इस अभागे शिष्य पर जिसने अपनी ज्ञान की पिपासा मात्र पैसे देकर ही शान्त करी हो तथा कभी भी गुरू शिष्य के मध्य उस श्रेष्ठ संबंध का अनुभव ही न किया हो, जिसका ज्ञान का साधन और साध्य दोनों ही धन हों और जो पूर्णत: इस ट्यूशन के चक्कर में फंस चुका हो तथा जिसके लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ना असम्भव हो!

असम

ओ. पी. पुरी,
सहायक महाप्रबन्धक

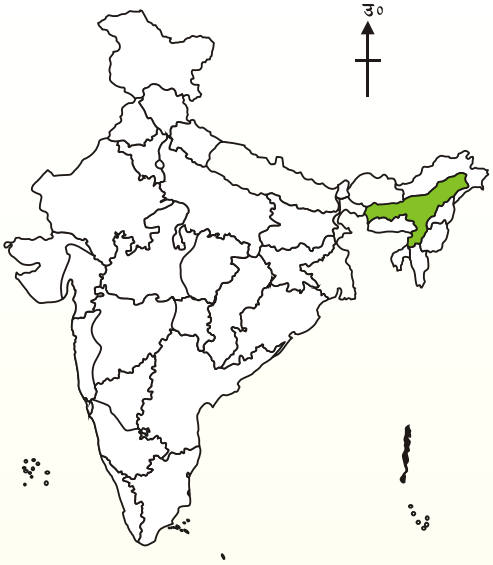

असम देश का एक पूर्वोत्तर राज्य है। असम शब्द के उखव के बारे में विद्वानों का मानना है कि पहाड़ों और घाटियों के कारण यहां की भूमि सम नहीं है, इसलिए इसका नाम असम पड़ा। कुछेक विद्वानों का मत है कि असम का उखव संस्कृत के असोम से हुआ है जिसका अर्थ होता है- अनुपम या अद्वितीय। ब्रिटिश शासन में इसके विलय से पूर्व लगभग छह सौ वर्षों तक इस क्षेत्र पर अहोम राजाओं ने शासन किया। द्रविड़, मंगोलियन, आस्ट्रिक और आर्य जैसी विभिन्न जातियां प्राचीनकाल से इस प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में समय-समय पर आकर बसीं। असम का क्षेत्रफल 78438 वर्ग किमी और जनसंख्या 33,89,413 है। असम में ब्रह्मपुत्र की बड़ी प्रमुखता है, इसकी 120 सहायक नदियां हैं। असम संसार में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है। यहां 178 सेंमी से 305 सेंमी तक वर्षा होती है।

उद्योग-

असम में कृषि पर आधारित उद्योगों में चाय का प्रमुख स्थान है। राज्य में छह औद्योगिक विकास केन्द्र हैं। इस समय राज्य में चार तेलशोधक कारखाने काम कर रहे हैं जिनमें से एक डिगबोई में है। अमीनगांव में सेंट्रल इंस्टीच्यूट फार प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है। हस्तशिल्प और कला से जुड़े कुटीर उद्योग के लिए असम विख्यात है। हथकरघा, रेशम, बैंत और बांस की वस्तुएं, गलीचों की बुनाई, काष्ठ शिल्प, पीतल तथा अन्य धातुओं के शिल्प आदि यहां के प्रमुख कुटीर उद्योग हैं।

कृषि-

असम कृषि प्रधान राज्य है। चावल यहां की मुख्य खाद्य फसल है। जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू आदि अन्य फसलें हैं। संतरा, केला, अनन्नास, सुपारी, नारियल, अमरूद, आम, कटहल और नीबू यहां की बागवानी फसलें हैं।

वन-

असम अपनी वन संपदा तथा जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। मार्च 1999 के अंत में राज्य में कुल 20.94 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर बन थे जिसमें से 17.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आरक्षित वन थे।

वन्यजीव-

राज्य में पांच राष्ट्रीय पार्क और 11 वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाघ परियोजना क्रमशः एक सींग वाले गैंडों और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है।

सिंचाई और बिजली-

राज्य में 1999-2000 तक 8.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की क्षमता जुटाई जा चुकी है जिसमें सिंचाई विभाग 4.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। राज्य के प्रमुख बिजलीघरों में चंद्रपुर तापबिजली परियोजना और नामरूप तापबिजली परियोजना के अलावा एक लघु पनबिजली परियोजना तथा कुछ मोबाइल गैस टरबाइन इकाइयां शामिल हैं।

परिवहन-

असम में सड़कों की कुल लंबाई 34,000 किमी है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 2038 किमी शामिल है। रेलमार्गों की लंबाई 2391.76 किमी है। यहां अनेक स्थानों पर छोटी लाइन है। नागरिक विमानों की नियमित उड़ानें होती हैं।

त्यौहार-

असम में अनेक रंगारंग त्योहार मनाए जाते हैं। ''बिहू'' असम का मुख्य पर्व है जो वर्ष में तीन बार मनाया जाता है। फसल की बुआई, कटाई व नव वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है।

पर्यटन स्थल-

पर्यटन स्थलों में कामाख्या मंदिर, उमानंदा, नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, डोलगोविंद, गांधी मंडप, चिड़ियाघर, संग्रहालय, शुक्रेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, प्राचीन कामदेव मंदिर और सरायघाट पुल हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है।

किसी बस्ती तक पहुँचने में सुगमता का प्रभाव

फतेहाबाद जिले का एक प्रकरण अध्ययन

आदित्य पांडे,
पुत्र श्री यू.एस. पांडे
सहायक महाप्रबन्धक

''कुछ मूलभूत स्थानिक समस्याएं मानवमात्र की स्थानिक स्थिरता का परिणाम हैं और प्राकृतिक एवं भौतिक सुविधाएं उनके नियंत्रण में होती हैं। इन समस्याओं से केवल तभी निपटा जा सकता है, जब मनुष्य प्राकृतिक एवं भौतिक समस्याओं के संबंध में स्वयं को सहज अवस्थित करके उन्हें सरल पाता है'' (पी.के.सरकार)

1. प्रस्तावना

परिवहन एक मूलभूत संरचना है जो आमतौर पर आर्थिक विकास का एक मुख्य घटक है। सड़कें किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए प्रमुख भूमिका निभाती हैं एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए और अलग-थलग पड़े भागों को विकास की मुख्य धारा में लाकर क्षेत्रीय विकास को जोड़ने और प्रोत्साहित करने में निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। कच्चे माल और तैयार माल का तेजी से परिवहन सामयिक उपयोगिता प्रदान करता है। परिवहन व्यवस्था हमारी जीवनशैली, सामुदायिक विकास एवं औद्योगिक अवस्थिति निर्धारित करने में एक महत्वपूर्णक कारक है। कोई प्रदेश अथवा क्षेत्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक उसके पास एक अच्छी परिवहन व्यवस्था नहीं है जो उसकी विभिन्न बस्तियों को एक दूसरे से जोड़ती है।

अच्छी परिवहन व्यवस्था हमें हमारी गतिविधियों के स्थानों के साथ जोड़कर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। इसके अतिरिक्त, परिवहन शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं- जैसे फल, दूध, सब्जियां, मछली, इत्यादि के नौभार के लिए अनिवार्य है। सड़कें, कृषि, उद्योग, खनन, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, वन एवं डेयरी विकास के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देती हैं, अपितु विकास के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में सहायता करती हैं।

कृषि उत्पादकता और विपनीयता काफी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए गए प्रवेश मार्गों पर निर्भर करती हैं। अत: इस अध्ययन का लक्ष्य किसी ''बस्ती तक पहुंचने में सुगमता" का संघात है।

उपर्युक्त वाक्यांश मानवमात्र के निवास स्थान और उनकी गतिविधियों के स्थानों के बीच संयोजकता की संकल्पना अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति उस पहुंच मार्ग की संकल्पना अभिव्यक्त कर सकता है, जो पहुंचने में सुगमता का अर्थ देता है। पहुंचने में सुगमता उस बस्ती की परिवहन व्यवस्था की संयोजकता के संबंध में बस्ती की अवस्थिति का एक संकेतक होती है। यहां परिवहन सुविधाओं, आधारिक उपलब्धता, जनसंख्या वितरण और लोगों के आवागमन के लिए पहुंचने में सुगमता के बीच एक संबंध है। पहुंचने में सुगमता परिवहन व्यवस्था द्वारा प्रदत्त अवसरों अथवा संभाव्यता की एक माप है और आदर्श बस्ती तथा गतिशीलता का एक प्रकार्य है। किसी क्षेत्र तक पहुंचने में सुगमता के उपाय/स्तर का पता लगाने के लिए बहुत से अध्ययन किए जा चुके हैं, किन्तु किसी बस्ती तक पहुंचने में सुगमता पर संघात का अध्ययन करने के लिए अधिक अनुसंधान नहीं हुआ है।

1.1 अध्ययन का लक्ष्य, उद्देश्य एवं विस्तार

इस अध्ययन का लक्ष्य हरियाणा के फ़तेहाबाद जिले में किसी बस्ती तक पहुंचने में सुगमता के संघात का आकलन करना है। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित है:-

- पहुंचने में सुगमता की संकल्पना और क्षेत्रीय प्रसंग में उसके उपायों की जांच करना।
- किसी बस्ती की संकल्पना की जांच करना और इसे विभिन्न पैरामीटरों के माध्यम से परिभाषित करना।
- निर्धारित कारकों/संकेतकों पर आधारित पहुंचने में सुगमता के वर्तमान स्तरों को विकसित करना।
- क्षेत्र में किसी वर्तमान बस्ती का विश्लेषण।
- किसी बस्ती और पहुंचने में सुगमता के स्तरों के बीच संबंध स्थापित करना।
- एक वांछित बस्ती बसाने के लिए पहुंचने में सुगमता" को आशोधित करना।,

यह अध्ययन प्रशासनिक सीमा के कारण आंकड़ों के समाहरण से उठने वाली समस्याओं को कम करने के लिए एक जिले तक सीमित रहा है। साथ ही, जो पैरामीटर अथवा संकेतक निर्धारित किए गए हैं, वे केवल परिवहन सुविधाओं एवं अन्य सामाजिक संरचना तक वास्तविक पहुंच से संबंधित हैं। इस अध्ययन में पहुंचने में सुगमता के संघात का पुनरीक्षण केवल उनमें मौजूद सुविधाओं और बस्तियों के वितरण पर किया गया है, किन्तु अर्थव्यस्था, रोज़गार इत्यादि अन्य पहलुओं का नहीं।

1.2 अध्ययन की प्रक्रिया

अध्ययन की क्रियाविधि उद्देश्यों, विस्तार और प्रतिबंधों के सूत्रीकरण के बाद आवश्यकता की पहचान से शुरु होती है। इन पहलुओं पर इस लेख में पहले विचार-विमर्श किया जा चुका है। इसके बाद साहित्य का अध्ययन किया गया था। इसमें किसी बस्ती का और ''पहुंचने में सुगमता'' की संकल्पना का अध्ययन शामिल है। यह अवस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है क्योंकि जो उपाय अंतिम विश्लेषण में प्रयोग किए गए हैं, वे सभी इस अवस्था में अध्ययन किए गए उपायों से चुने गए हैं। इस अवस्था के बाद क्षेत्र अध्ययन प्रकरण निर्धारित किया जाएगा। क्षेत्र अध्ययन प्रकरण का चयन बहुत से मानदंडों के आधार पर था। इसके बाद, जिले में आंकड़े एकत्रित किए गए थे।

विश्लेषण ने अध्ययन की आगामी अवस्था तैयार की। इसमें, किसी बस्ती के विश्लेषण और ''पहुंचने में सुगमता'' के संघात के अध्ययन का

आच्छादित विश्लेषण दो जिलों के बीच सह-संबंध का स्तर पता लगाने के लिए किया गया था। अंत में, भविष्य में की जाने वाली सिफारिशों को सुझाया गया है जिससे कोई वांछित बस्ती प्रतिरुप प्राप्त किया जा सके।

2. पहुंचने में सुगमता और बस्ती प्रतिरुप

2.1 पहुंचने में सुगमता

''पहुंचने में सुगमता'' का सरोकार उस अवसर से है जो किसी व्यक्ति का एक प्रस्तुत उपस्थिति में किसी गतिविधि विशेष में अथवा कई गतिविधियों में भाग लेने के लिए मिलता है। पहुंचने की सुगमता विभिन्न गतिविधियों को मूल के स्थानों से जोड़कर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जिससे लोग भौगोलिक प्रतिबाधा को पार कर सकते हैं। यह व्यक्ति के प्रारम्भ करने वाले बिंदु से संबंधित अवसर की स्थानिक अवस्थिति का प्रकार्य है। इसका मुख्यत: सरोकार अवसर अथवा संभाव्यता से तो है, किंतु व्यवहार से नहीं। अत: पहुंचने की सुगमता किसी व्यक्ति की गतिशीलता का प्रकार्य है। बहुसंख्य सुविधाओं का प्रावधान किसी क्षेत्र की गतिशीलता को बढ़ाता है और घटाता भी है। पहुंचने में सुगमता एक ऐसा उपाय है, जो ऐसी सुगमता द्योतित करता है जिसके साथ भूमि गतिविधियों का प्रयोग करती है अर्थात् बाजार, सामाजिक सांस्कृतिक केन्द्र, स्वास्थ्य, मनोरंजन, शैक्षिक ऋणसुविधाओं इत्यादि तक एक विशेष परिवहन सेवा का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है। पहुंचने की सुगमता के उपाय स्थानिक बाधाओं पर और उपलब्ध अवसरों की संख्या पर आधारित होते हैं। पहुंचने में सुगमता के भिन्न-भिन्न उपाय, जैसे कि 'रेखाचित्र परिकल्पना दृष्टिकोण', 'गतिविधि-पहुंचने की सुगमता संबंधी उपाय', 'शिंडलर के और फेरारी के उपाय' इत्यादि अध्ययन जिले में पहुंचने की सुगमता का वर्तमान स्तर स्थापित करने के लिए किया गया है।

2.2 बस्ती प्रतिरुप

(मानव) बस्ती शब्द का अर्थ विभिन्न व्यक्तियों, व्यवसायियों एवं भौतिक नियोजकों के लिए भिन्न-भिन्न होता है। इसमें स्थान, समय एवं प्रकार्यो के विभिन्नक स्तर एवं स्केल समाहित हो सकते है। यह किसी नए क्षेत्र में, नए रुप में बसाए गए प्रदेश में, एक छोटे समुदाय में लोगों का एक स्थापन है (महावीर, 1996)। शब्द बसाव (सेटिलमेंट) अंगेजी के शब्द (सेट) समूह से लिया गया है जिसका अर्थ (सीट) बैठने का स्थान अथवा (सेटलीन) स्थान होता है। यह एक बसी हुई उपनगरी को अथवा बसने (सेटिंग) की क्रिया (एक्ट) को द्योतित करता है। बसाव मनुष्यों की एक संगठित उपनगरी (कॉलोनी) को निर्दिष्ट करता है, जो एक साधारण खेत, जिसमें इमारत खड़ी हैं, से लेकर घने बसे शहर अथवा बृहत् महानगर तक फैली है। इसके विस्तार क्षेत्र में न केवल विभिन्न बहु-उपयोगी भवन शामिल हैं, अपितु विथियां, पथ, खेत, पार्क, पूजा-स्थल और क्रीड़ा-स्थल, इत्यादि सहित सम्पूर्ण परिप्रदेश आते हैं।

जनसंख्या वितरण बस्ती प्रतिरुप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। जनसंख्या का आकार मानव विकास की प्रकृति और प्रतिमान अवधारित करता है, जबकि इसका वितरण भौतिक संसाधनों के साथ मनुष्य के समायोजन की बदलती प्रकृति दर्शाता है। बस्ती प्रतिरुप प्रादेशिक नियोजन में सबसे अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि वह जनसंख्या के फैलाव, उनके संकेनद्रण एवं विकास दर का बोध पैदा करता है। बस्तियों का फैलाव भी विकास के स्थान की संभाव्यता का बोध विकास केन्द्रों के रुप में पैदा करता है जिससे कि छोटी बस्तियों के निवासियों की निर्भरता की जांच की जा सके। 'स्केलोग्राम' और मिश्रित प्रकार्यात्मक सूची (कम्पोजिट फंक्शनल इंडैक्स) जैसे बस्ती प्रतिरुप संकल्पना को अभिव्यक्त करने के लिए अध्ययन किया गया है। साथ ही, प्रतिरुप का परिणाम बताने के लिए निकटस्थ पड़ौसी की दूरी संबंधी तकनीक का भी अध्ययन किया गया है।

3. प्रकरण अध्ययन पर उपायों का अनुप्रयोग

हरियाणा के फतेहाबाद जिले का अध्ययन के लिए चुनाव बहुत से मानदंडों के आधार पर किया गया था। फतेहाबाद जिला हरियाणा के नवगठित जिलों में से एक है। यह हरियाणा के पश्चिमी भाग में और पंजाब राज्य की सीमा पर स्थित है। यह जिला दिल्ली से लगभग 210 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 10 से पूर्णतया जुड़ा है। जिले की आबादी लगभग 8 लाख और भौगोलिक क्षेत्र लगभग 2198 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के भाग का 5.4 प्रतिशत है। कृषि जिले की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ है। इसमें फतेहाबाद, रतिया और टोहाना नामक तीन तहसीलें हैं। जिले में 244 गांव हैं।

3.1 पहुंचने की सुविधा संबंधी उपाय करना

जिन उपायों का पहले अध्ययन किया गया था, उनमें एक अथवा अन्य पहलुओं का अभाव था, अत: पहुंचने की सुगमता उपलब्ध कराने के लिए अपनाया गया अंतिम तरीका सड़कों का घनत्व, मुख्य गलियारों की प्रबलता, बस्तियों का मुख्य कार्यसंजाल और जन परिवहन के साथ संयोजकता के आधार पर पहुंचने की सुगमता की समेकित सूची तैयार करना था।

3.2 बस्ती प्रतिरुप की स्थापना

फतेहाबाद का बस्ती प्रतिरुप निम्नलिखित ढंग से अभिव्यक्त किया गया है:-

क. जनसंख्या के आकार पर आधारित बस्तियों का अनुक्रम
ख. कम्पोजिट फंक्शनल, प्राप्तांक
ग. बस्ती एवं जनसंख्या घनत्व
घ. निम्नलिखित में बस्तियों के समूह की मात्रा-
   - प्रशासनिक खंड में
   - विभिन्न जनसंख्या आकार, श्रेणियों में
   - गलियारों में

3.3 अधिचित्र का विश्लेषण

'पहुंचने की सुगमता' और बस्ती प्रतिरुप की संकल्पना और उपायों का अध्ययन करने और प्रकरण अध्ययन पर उन्हें पृथक रुपक से लागू करने के बाद, अधिचित्र का विश्लेषण बस्ती प्रतिरुप पर 'पहुंचने की सुगमता' के संघात का अध्ययन किया गया है। इसके लिए, 'पहुंचने की सुगमता' के स्तर की तुलना प्रत्येक शीर्ष, जिसमें बस्ती प्रतिरुप अभिव्यक्त किया गया है और दोनों के बीच प्रत्यक्ष अथवा विपरीत सहसंबंध का पता लगाने के लिए अनुमान लगाए गए है, के साथ की गई है।

4. उपसंहार

बस्ती प्रतिरुप के साथ पहुंचने की सुगमता का विश्लेषण करने के बाद,

निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए हैं:-

1. पहुंचने की सुगमता का बस्ती घनत्व पर प्रत्यक्ष संघात होता है। इसका अर्थ यह है कि बस्तियां उन क्षेत्रों में समूहबद्ध की जाती हैं, जहां पहुंचने की सुगमता अधिक होती है। किन्तु जिले में प्रतिरुप के कुछेक अपवाद है।
2. पहुंचने की सुगमता का बस्तियों के आकार पर आधारित बस्ती के अनुक्रम पर भी प्रत्यक्ष संघात होता है। इसका अर्थ यह है कि मुख्य गलियारों के साथ बस्तियों ने उन बस्तियों से अधिक आकार ले लिया हैं, जो गलियारों से दूर हैं।
3. जब बस्ती प्रतिरुप की तुलना प्रमुख गलियारा अंचलों के अनुसार (पीसीयू मूल्यों सहित अथवा रहित पहुंचने की सुगमता सूची के एक संघटक के रुप में) और (खंड-क्रम से) प्रशासनिक सीमा के अनुसार की गई, तब पहुंचने की सुगमता उनके साथ कोई सहसंबंध नहीं दर्शाती है।
4. किन्तु पहुंचने की सुगमता की सीएफआई स्कोर पर आधारित बस्तियों के अनुक्रम के साथ तुलना करने के मामले में, उन दोनों के बीच एक विपरीत सहसंबंध है। इसका कारण इस तथ्य से माना जा सकता है कि बहुत अधिक सुविधाओं वाली अथवा उच्च सीएफआई स्कोर की बस्तियां प्रमुख परिवहन के क्षेत्रों में स्थित नहीं हैं, इसलिए वहां पहुंचने की सुगमता कम है।
5. साथ ही, पहुंचने की सुगमता बनाम जनसंख्या घनत्व के मामले में एक विपरीत सहसंबंध अवलोकित किया गया है। इस अवलोकन को इस तथ्य के कारण से हुआ माना जा सकता है कि जो बस्तियां प्रमुख गलियारों के साथ समूहबद्ध की गई हैं, वे आकार में छोटी हैं। जबकि उन मामलों, जहां बड़ी बस्तियां मौजूद हैं, में वे एक दूसरे से कम हैं।

5. सिफारिशें

यह पाया गया है कि पहुंचने की सुगमता फतेहाबाद जिले के बस्ती प्रतिरुप पर वहां तक प्रभाव रखती है, जहां तक जिले की जनसंख्या के वितरण का संबंध है। साथ ही, इसका प्रभाव जिले की सुविधाओं के विवरण पर भी है, किन्तु यह प्रभाव पूरे जिले में एक समान नहीं है क्योंकि बहुत से मामलों में दोनों के बीच नकारात्मक संबंध है। अत: यह कहा जा सकता है कि फतेहाबाद जिले में पहुंचने की सुगमता बस्ती प्रतिरुप को, यदि पूरी तरह से नहीं, तो आंशिक रुप से संचालित करती है। इसलिए भविष्य में एक वांछित बस्ती प्रतिरुप पाने के लिए, 'पहुंचने की सुगमता' को इसके अनुसार आशोधित किया जा सकता है। लेखक की ओर से की गई सिफारिशें इसी पर आधारित हैं। अनुसंधान उन क्षेत्रों में पहुंचने की सुगमता को अशोधित करने की रणनीति सुझाता है, जहां अपवाद पाए गए हैं, अर्थात् पहुंचने की अल्प सुगमता वाली और अधिक सुगमता अथवा इसके विपरीत सुगमता वाली बस्ती। जिन मामलों का चयन किया गया है, वे मात्र यह दर्शाने के उदाहरण हैं कि बस्ती प्रतिरुप को पूरा करने के लिए पहुंचने की सुगमता को कैसे बदला जा सकता है। कुल मिलाकर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पहुंचने की सुगमता को वांछित बस्ती प्रतिरुप प्राप्त करने के लिए आशोधित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय आवास कोष

गरीबों को छत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने पांच सौ करोड़ रूपये के योगदान से राष्ट्रीय आश्रय कोष गठित करने का निर्णय लिया है। यह कोष राष्ट्रीय आवास बोर्ड के तहत काम करेगा। इस योजना को बढ़ावा देने के लिए उसमें योगदान करने वाली संस्थाओं और अप्रवासी भारतीयों को टैक्स में रियायत देने की भी सिफारिश राष्ट्रीय शहरी आवास नीति के प्रारूप में की गयी है । इस परियोजना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने नयी शहरी आवास नीति का प्रारूप तैयार किया है जिसमें कहा गया कि गरीबों के लिए पांच सौ करोड़ रूपये से आश्रय (शैल्टर) कोष गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय आवास बोर्ड के तहत काम करेगा। प्रारूप में कहा गया है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को मकान के लिए प्राथमिक ऋण देने वाली संस्थाओं को बोर्ड के द्वारा ऋण दिया जाएगा। इस कोष को और मजबूत करने के लिए नयी नीति में बांड जारी करने की सिफारिश की गयी है जो कर रहित होंगे।

नयी नीति में सिफारिश की गयी है कि सरकार द्वारा प्रारंभ में पांच सौ करोड़ की लागत से 'रिस्क फंड' की स्थापना की जाए और इस फंड को मजबूत करने के लिए आवास ऋण देने वाले ऋण का एक फीसदी रिस्क फंड में देंगे। प्रारूप आवास नीति में निजी क्षेत्र से आग्रह किया गया है कि वे अपने लाभ का कुछ हिस्सा गरीबों को आशियाना मुहैया कराने में दें। जो भी प्राधिकरण और निजी बिल्डर मकान बनायें वह 20 से 25 फीसदी हिस्सा गरीबों के लिए छोड़ दें।

मंत्रालय द्वारा तैयार नीति में कहा गया है कि रियल स्टेट में विदेशी निवेश और अप्रवासी भारतीयों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्हें बांड में धन जमा करने और निवेश करने पर कर में छूट दी जाए। देशी संसाधनों को अपर्याप्त देखते हुए गृह ऋण मुहैया कराने वाली कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पूर्णत: परिवर्तनीय वाणिज्य बांड के जरिए पैसा उगाहने की अनुमति दी जाए। इससे आवास क्षेत्र में ऋण उपलब्धता बढ़ेगी।

(साभार: कुरूक्षेत्र, अक्टूबर-2005)

आपकी पाती

दिनांक: 26-05-2006

प्रियवर,

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका की प्रति मिली। पूरे अंक को देखने के बाद, मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने एक ऐसा प्रकाशन शुरू किया है जिसमें बैंक से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को प्रसन्नता होगी और उन्हें पूरी जानकारी मिलेगी।

अच्छे कागज पर विविध रंगों में छपा हुआ यह अंक निश्चय ही लोग पढ़ेंगें और सुरक्षित रखेंगे। इससे एक लाभ होगा कि वह आपके बैंक के बारे में सारी जानकारी देगा। इससे जिज्ञासुओं को लाभ तो होगा ही, आपके कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इस अंक के लिए मैं आप सब सम्बन्धित व्यक्तियों को धन्यवाद देता हूँ।

मेरी शुभकामनायें आप के साथ हैं।

राजेन्द्र अवस्थी
जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली-14

दिनांक: 14-06-2006

महोदय,

आपके दिनांक 12-05-06 के पत्र सं. राआबैंक (नदि)/रा.भा./232/2006 के साथ आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका ''आवास भारती'' का जनवरी - मार्च, 2006 का अंक प्राप्त हुआ। आपकी यह पत्रिका अत्यंत प्रभावशाली है। हिन्दी में प्रकाशित यह पत्रिका राजभाषा हिन्दी को बढ़ावा देने का एक सराहनीय प्रयास है। पत्रिका के उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन के लिए समस्त संपादक मंडल बधाई का पात्र है।

(नरिन्दर कौर)
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

दिनांक: 12-06-2006

आवास भारती पत्रिका प्राप्त हुई। प्रेषण हेतु धन्यवाद। पत्रिका का हर लेख रुचिकर लगा। खासकर ''वैश्वीकरण -राजभाषा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य'' ज्ञानप्रद लगा।

हम पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करते हैं।

सुलेखा मोहन
वरिष्ठ प्रबंधक
केनरा बैंक

दिनांक: 17-06-2006

प्रबंधक (राजभाषा)
राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर-5ए, तृतीय तल, इंडिया हैबीटेट सेंटर,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003.

महोदय,

विषय: राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका ''आवास भारती''।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में पत्र क्र.राआबैंक(नदि)राजभाषा/232/2006 दि.12 मई, 2006 के साथ उक्त पत्रिका प्राप्त हुई। धन्यवाद।

पत्रिका पठनीय एवं सुरुचिकर लगी। बधाई। सामग्री चयन में संपादक मंडल की आगे देखू दृष्टि दिखायी देती है जो पत्रिका का सबल पक्ष है। कृपया राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हो रहे तकनीकी उन्नयन पर नियमित सामग्री दें तो और बेहतर रहेगा।

उमाकांत स्वामी
सहायक महाप्रबंधक
बैंक आफ बडोदा

दिनांक: 31-05-2006

महोदय,

आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रिका ''आवास भारती'' की जनवरी - मार्च 2006 अंक की प्रति प्राप्त हुई। इसके लिए सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद।

राजभाषा को बढ़ावा देने की दिशा में समर्पित पत्रिका ''आवास भारती'' के विषयों के चुनाव के लिए संपादक मंडल को बधाई। सर्वप्रथम पत्रिका का मुख्य पृष्ठ ही पत्रिका के नाम को सार्थक करता है। वैश्वीकरण-राजभाषा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का भविष्य, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व अनुषंगी हित लाभ-कर आदि लेख जानकारी से परिपूर्ण हैं। काव्य सुधा स्तम्भ में दोस्ती व जिंदगी का सफर कविताएं निश्चित रूप से प्रेरणादायक व हृदय स्पर्शी हैं। इन सबके अतिरिक्त बैंक के संबंध में प्रस्तुत अन्य जानकारियां गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करती हैं।

एक बार पुन: पत्रिका व उसके परिवार को पत्रिका के सफल प्रकाशन व संपादन के लिए बधाई। धन्यवाद!

डॉ. नरेश कुमार
हिन्दी अधिकारी

सरकारी क्षेत्र के बैंको वित्तीय संस्थाओं के लिए हिंदी गृह पत्रिका प्रतियोगिता (अप्रैल 2004 से मार्च, 2005) में बैंक की पत्रिका ''आवास भारती'' को चतुर्थ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में आयोजित समारोह के यादगार क्षण

प्रथम चित्र - डा0 वाई. व्ही. रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक से पुरस्कार प्राप्त करते बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. श्रीधर

दूसरा चित्र - डा0 वाई. व्ही. रेड्डी, गवर्नर एवं उपगवर्नर, श्री वी. लीलाधर के साथ बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस. श्रीधर, महाप्रबंधक श्री पी. के. कौल एवं प्रबंधक मि. गो. देशपाण्डे

पंजी. सं. DELHI IN/2001/6138

राष्ट्रीय
आवास बैंक

मुद्रण तिथि : 05 अगस्त 2006